

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 402]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 अक्टूबर 2021—आश्विन 16, शक 1943

चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 अक्टूबर 2021

क्र. एफ 5-08-2021-1-पचपन.— मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2000 (क्र. 1 सन् 2001) की धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य में सह-चिकित्सीय शिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए मानक तथा दिशानिर्देश विहित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सह-चिकित्सा शिक्षा संस्थान (मानक और दिशानिर्देश) स्थापना नियम, 2021 है।
- (2) ये "मध्यप्रदेश राजपत्र" में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- (3) (क) ये नियम मध्यप्रदेश में सह-चिकित्सा पाठ्यक्रमों के शिक्षण-प्रशिक्षण के लिए संचालित की जाने वाली सभी संस्थाओं पर लागू होंगे।
(ख) इन नियमों के अधीन किसी पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर विद्यार्थी को जारी शैक्षणिक प्रमाणपत्र/अंकसूची मध्यप्रदेश के साथ सम्पूर्ण देश में मान्य होगा।

2. परिभाषाएं:- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2000 (क्र. 1 सन् 2001);
- (ख) "परिषद्" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित मध्यप्रदेश सह-चिकित्सा परिषद्;
- (ग) "सह-चिकित्सीय विषय" से अभिप्रेत है, अनुसूची-एक में वर्णित विषय;
- (घ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूचियां

3. शिक्षण संस्था की मान्यता हेतु अर्हताएं.—

(1) शैक्षिक भवन (प्रशासकीय एवं शैक्षणिक) :

- (क) शैक्षिक भवन अनुसूची—दो अनुसार होगा।
- (ख) नवीन सह—चिकित्सीय संस्था स्थापित किये जाने की दशा में, शैक्षिक भवन संस्था के स्वामित्व का होगा, परन्तु यदि संस्था के स्वामित्व का भवन नहीं है तो किराए के भवन के आधार पर भी मान्य किया जा सकेगा परंतु न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि के लिए रजिस्टर्ड पट्टा अभिलेख (लीज डीड) होना अनिवार्य है।
- (ग) पूर्व से संचालित संस्था को किराये के भवन के आधार पर केवल पाँच वर्ष की अवधि तक ही मान्यता प्रदान की जा सकती है परन्तु पाँच वर्ष के पश्चात् संस्था का स्वयं का भवन होना अनिवार्य है। पाँच वर्ष पश्चात् भी स्वयं का भवन ना होने की स्थिति में नवीन प्रवेश लेने की संस्था को पात्रता नहीं होगी व केवल पूर्व से प्रवेशित छात्र ही अपने पाठ्यक्रम की अवधि को पूर्ण करने हेतु अध्ययन प्राप्त कर सकेंगे।
- (घ) अकादमी भवन आवेदक नवीन संस्था के स्वत्व का होना चाहिए परन्तु यदि संस्था का अपना स्वयं का अकादमी भवन नहीं है, तो आवेदक, संस्था आवेदन के समय राशि रुपये 20 लाख की सावधि जमा (एफडीआर) परिषद् के पक्ष में प्रस्तुत करेगी। यह सावधि जमा (एफडीआर) परिषद् द्वारा 05 वर्ष तक रखी जाएगी। यदि संस्था 05 वर्ष में स्वयं का अकादमी भवन नहीं बनाती है तो संस्था द्वारा दी गई उक्त राशि रुपये 20 लाख की सावधि जमा (एफडीआर) राजसात की जाएगी एवं उक्त संस्था/समिति/कॉलेज को नवीन प्रवेश हेतु मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी एवं ब्लैक लिस्टेट होने के पश्चात् संस्था/समिति/कॉलेज प्रदेश में कहीं भी संस्थान प्रारंभ करने हेतु प्रदेश में कहीं भी आवेदन कभी भी नहीं कर सकेगी।
- (ङ) नवीन सह—चिकित्सीय संस्था स्थापना हेतु संस्था के स्वामित्व/प्रबंधन में अनुसूची—चार में वर्णित मापदंडों के अनुसार चिकित्सालय होने की दशा में ही मान्यता संबंधी प्रकरण पर विचार किया जा सकेगा।

(2) छात्रावास:

- (क) छात्रावास भवन अनुसूची—तीन अनुसार होगा।
- (ख) छात्रावास भवन संस्था के स्वामित्व का होना चाहिए, परन्तु यदि संस्था के स्वामित्व का भवन नहीं है तो किराए का भवन भी मान्य किया जा सकेगा परंतु न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि के लिए रजिस्टर्ड लीज डीड/रजिस्टर्ड किरायानामा होना अनिवार्य है।

(3) व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु अर्हित चिकित्सालयः

- (क) नवीन संस्थाओं हेतु— नवीन सह-चिकित्सीय संस्था स्थापना हेतु संस्था के स्वामित्व/प्रबंधन में अनुसूची-चार में वर्णित मापदंडों के अनुरूप चिकित्सालय होने की दशा में ही मान्यता संबंधी प्रकरणों पर विचार किया जा सकेगा।
- (ख) शासकीय चिकित्सालय से संबद्धता के आधार पर (केवल पूर्व से संचालित संस्थाओं हेतु) —

- (एक) आवेदक संस्था का शिक्षण प्रशिक्षण हेतु अनुसूची-चार में वर्णित मापदंडों के अनुसार अर्हताधारी चिकित्सालय से अनुसूची-ग्यारह में दर्शित संबद्धता पत्र के अनुसार होना आवश्यक है।
- (दो) ऐसी संस्था जो संभाग के मुख्यालय सहित, जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर पर सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रम संचालित करने की इच्छा रखती है और उसने न्यूनतम 100 बिस्तरीय जिसमें कि 1:3 (एक बिस्तर पर तीन विद्यार्थी) के औसत अनुपात के आधार पर शासकीय चिकित्सालय की संबद्धता प्राप्त कर ली है तो अनुज्ञा के लिए आवेदन पर विचार किया जा सकेगा। उपरोक्त चिकित्सालय प्रातःकालीन एवं सायांकालीन समय में पॉलीवार प्रशिक्षण हेतु संबद्ध किए जा सकेंगे।
- (तीन) सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्था से संबद्ध शासकीय चिकित्सालय/निजी चिकित्सालय की अधिकतम दूरी 25 कि.मी. होने पर ही संस्था के मान्यता संबंधी प्रकरणों पर विचार किया जाएगा, किन्तु संस्था प्रशिनार्थी छात्रों के आवागमन हेतु परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- (चार) किसी जिले में एक से अधिक संस्था का आवेदन प्राप्त होने की दशा में परस्पर वरीयताक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा:—
- क. प्रथम वरीयता शासकीय क्षेत्र में संचालित पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों को प्रदान की जाएगी। किसी शासकीय क्षेत्र में संचालित संस्था द्वारा शासकीय चिकित्सालय/शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालय से भी प्रशिक्षण के आधार पर अनुमति प्रदान किए जाने संबंधी विचार किया जा सकेगा।

- ख. द्वितीय वरीयता संस्था की प्रथम मान्यता प्राप्ति वर्ष के आधार पर दी जायेगी।
- ग. सामान वरिष्ठता होने की दशा में, संस्था के स्वामित्व में क्रमबद्ध अधोसंरचना (अकाडमी भवन, चिकित्सालय, यातायात सुविधा इत्यादि) के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।
- घ. उपनियम (3) के खंड (ख) के उपखंड (चार) मद ग में उल्लिखित प्रावधान में भी समान वरिष्ठता की स्थिति में ऑनलाईन दिनांक/ समय के आधार पर प्रथम आवेदन करने वाली संस्था को वरियता प्रदान की जाएगी।

(ग) निजी चिकित्सालय, प्रबंधन/स्वामित्व के आधार पर

- (एक) निजी चिकित्सालय प्रबंधन/स्वामित्व के आधार पर सह-चिकित्सीय संस्था की मान्यता के संबंध में विचार किया जा सकेगा, परन्तु उक्त निजी चिकित्सालय न्यूनतम 100 बिस्तरीय जिसमें कि 1:3 (एक बिस्तर पर 3 विद्यार्थी) के औसत अनुपात के आधार पर होगा। एक सह-चिकित्सीय संस्था को संबंधित विधा में केवल एक ही निजी चिकित्सालय से व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु अनुमति प्रदान होगी।
- (दो) संस्था के स्वामित्व/प्रबंधन में न्यूनतम 100 बिस्तरीय अस्पताल की उपलब्धता होने पर ही प्रस्तुत आवेदन पर विचार किया जा सकेगा।
- (तीन) उपनियम (3) के खंड (ख) के उपखंड (तीन) में उल्लेखित प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- (चार) संस्था के स्वामित्व/प्रबंधन के निजी चिकित्सालय का संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
- (पांच) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें द्वारा चिकित्सालय की मान्यता निरस्त करने की दशा में चिकित्सालय से संबद्ध शिक्षण संस्थान की मान्यता स्वमेव निरस्त मानी जाएगी एवं उक्त स्थिति में प्रवेशित छात्र-छात्राओं की अध्यापन से संबंधित समस्त जिम्मेदारी संस्था की होगी।

(4) **शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ (कर्मचारीवृंद):**

(क) संस्था में शैक्षणिक स्टाफ अनुसूची-पॉच के अनुसार होगा।

(ख) संस्था को शैक्षणिक स्टाफ अनुसूची-छह के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(ग) प्रशासनिक एवं गैर-शैक्षणिक स्टाफ एवं छात्रावास संचालन हेतु स्टाफ अनुसूची-सात के अनुसार होना अनिवार्य है।

(5) **पुस्तकालय एवं उपकरण लैब:** संस्था में पुस्तकालय एवं उपकरण हेतु लैब अनुसूची-आठ के अनुसार होगा।

(6) संस्था के विगत 3 वर्ष में परीक्षा परिणाम राज्य में संचालित सह-चिकित्सा संस्थाओं के औसत से कम नहीं होना चाहिए। उक्त शर्त के अननुपालन की स्थिति में संस्था को नवीन मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी।

4. **मान्यता की प्रक्रिया:-**

(1) **पात्रता मानदंड** - निम्नलिखित संगठन नवीन सह-चिकित्सीय शिक्षण संस्थान स्थापित करने की अनुज्ञा के लिए पात्र होंगे:-

(क) किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का विश्वविद्यालय ;

(ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा संप्रवर्तित स्वायत्तशासी निकाय;

(ग) सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का सं. 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत या राज्य में इस संबंध में तत्समय प्रवृत्त किन्हीं तत्स्थानी विधियों के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटियां;

(घ) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का सं. 21) या वप्फ अधिनियम, 1954 (1954 का सं. 29) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सार्वजनिक, धार्मिक या पूर्त न्यास।

(2) **अर्हकारी मानदंड**:- पात्र संगठन, अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए तथा समय-समय पर यथासंशोधित विनियमों के उपबंधों का पालन करेंगे। संगठन, नए सह-चिकित्सीय शिक्षण संस्थान स्थापित करने की अनुज्ञा के लिए आवेदन करने हेतु निम्नलिखित निबंधनों तथा शर्तों के अधीन होंगे:-

- (क) आवेदक का मुख्य उद्देश्यों में सह-चिकित्सीय शिक्षा एक उद्देश्य होना आवश्यक है।
- (ख) तीन या तीन से अधिक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदक की नगरीय क्षेत्र में आधा एकड़ भूमि या ग्रामीण क्षेत्र में एक एकड़ भूमि स्वयं के स्वामित्व की होना चाहिए। किंतु इन नियमों में विहित मानकों के अनुसार भूमि नहीं है तो ऐसी संस्थाओं के आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (ग) यदि भविष्य के किसी संस्थान की मान्यता किसी आधार पर प्रत्याहृत कर ली जाती है, तब ऐसे संस्थान के विद्यार्थियों को, किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान में स्थानांतरित करने हेतु का अधिकार परिषद् का होगा, स्थानांतरित किये जाने के पूर्व राज्य शासन से सहमति आवश्यक होगी।
- (घ) आवेदक संस्था, उसकी वित्तीय स्थिति के संबंध में आवेदन के साथ चाटर्ड एकाउन्टेन्ट की तीन वर्ष की संपरीक्षा रिपोर्ट तथा अंकेक्षण परिषद् को आवेदन के साथ उपलब्ध करायेगी।
- (ङ) किसी भी अनुज्ञा प्राप्त संस्था में प्रवेश को किसी भी चरण पर तब तक रोक जा सकेगा, जब तक कि परिषद् का समाधान होने तक विकास के विभिन्न चरणों की अपेक्षाएँ परिषद् के अनुसार पूर्ण न कर ली गई हो।

(3) मान्यता की प्रक्रिया.—

- (क) परिषद् प्रतिवर्ष मान्यता के संबंध में परिषद् की वेबसाइट पर समयबद्ध समयतालिका प्रदर्शित करेगी।
- (ख) परिषद् द्वारा निर्धारित समयावधि अनुसार संस्थाओं को ऑनलाईन माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (ग) परिषद् की पूर्व मंजूरी उपरांत प्रथमतः कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा/परिषद् द्वारा गठित समिति के माध्यम से प्रस्तावित स्थान पर सह-चिकित्सीय शैक्षणिक संस्था स्थापित करने की वांछनीयता और प्रथम दृष्टया साध्यता का मूल्यांकन करेगी। परिषद् की पूर्व मंजूरी उपरांत समिति में विषय-विशेषज्ञ व कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा के अधिकारियों को आवश्यकतानुसार सम्मिलित किया जाएगा। स्क्रुटनी का कार्य ऑनलाईन के माध्यम से संपादित किया जाएगा। समिति स्कीम के लिए आवश्यक संसाधन तथा अधोसंरचना उपलब्ध कराने की आवेदक की सामर्थ्य का भी मूल्यांकन

करेगी तथा मूल्यांकन करते समय, यदि प्रथमदृष्यता समिति को आवेदन नियमानुसार नहीं पाया जाता है एवं मिथ्या जानकारी प्रदान किये जाने की दशा में आवेदन एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा तथा आवेदन शुल्क पूर्णतः राजसात कर लिया जाएगा।

- (घ) तत्पश्चात् खंड (ड) के अनुसार गठित समिति द्वारा भौतिक निरीक्षण किया जाएगा एवं समस्त आवेदित संस्थाओं (शासकीय संस्थाओं को छोड़कर) का प्रतिवर्ष अवश्यक रूप से मूल्यांकन किया जाएगा। उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर मान्यता प्रदान करने पर विचार किया जाएगा एवं विशेष परिस्थितियों में परिषद् की पूर्व मंजूरी उपरांत आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा कार्यालय द्वारा गठित समिति के माध्यम से भी संस्था का भौतिक/औचक निरीक्षण करवाया जा सकेगा।

(ङ) सत्यापन हेतु समिति निम्न से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

1.	कलेक्टर अथवा अपर कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का प्रतिनिधि	अध्यक्ष/नोडल अधिकारी
2.	चिकित्सा महाविद्यालय के विषय विशेषज्ञ (केवल उन स्थानों हेतु जहां चिकित्सा महाविद्यालय हो) /मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या उसका प्रतिनिधि	सदस्य
3.	जिला आयुष अधिकारी (केवल उन संस्थाओं हेतु जिनके द्वारा आयुष से संबंधी पाठ्यक्रमों हेतु आवेदन किया गया हो)	सदस्य

- (4) उक्त समिति परिषद् द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार संस्था का भौतिक निरीक्षण करेगी एवं भौतिक निरीक्षण संबंधी स्पष्ट अनुशंसा सहित टीप एवं भौतिक/ औचक निरीक्षण की ऑडियो/विजुअल वीडियो ऑनलाईन माड्यूल के माध्यम से अपलोड करेगी।
- (5) उपनियम (3) के खंड (ङ) के अनुसार गठित समिति, परिषद् को स्पष्ट अनुशंसा सहित टीप ऑनलाईन निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी तत्पश्चात् परिषद् निरीक्षण प्रतिवेदन की अनुशंसा के अनुसार राज्य शासन को विधिवत् प्रस्ताव प्रेषित करेगी।
- (6) आवेदित संस्था को पाठ्यक्रमवार/सीट संख्यावार प्रस्ताव राज्य शासन के अनुमोदन उपरांत परिषद् स्तर से मान्यता पत्र जारी की जायेगी।
- (7) आवेदित संस्था को आवेदन शुल्क के साथ अनुसूची-नौ में दर्शाये अनुसार मान्यता हेतु आवेदन निर्धारित ऑनलाईन फार्मेट अनुसार प्रस्तुत करना होगा।

- (8) आवेदित संस्था को नियम 3 के उपनियम (3) के अधीन आवश्यक संबद्ध चिकित्सालय तथा उपनियम (4) के अधीन आवश्यक पूर्णकालिक शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ का परिषद् में ऑनलाइन पंजीयन अनिवार्य होगा।
- (9) यदि संस्था भौतिक निरीक्षण किये जाने के पूर्व मान्यता संबंधी आवेदन निरस्त करने संबंधी मांग करती है तो आवेदन शुल्क में 25 प्रतिशत राशि का कटौती कर शेष राशि लौटा दी जायेगी।
- (10) यदि आवेदक द्वारा मान्यता प्रदान किये जाने संबंधी आवेदन पूर्णतः सही/संतुष्टिकारक होने की दशा में परिषद् अनुसूची-दस में दर्शाये गये प्रारूप अनुसार मान्यता प्रमाण-पत्र करेगी।
- (11) परिषद् मान्यता संबंधी समस्त निर्णय/आदेश परिषद् की वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगी।
- (12) परिषद् संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में मान्यता/अमान्यता पत्र ई-मेल के माध्यम से सूचित करेगी।
- (13) संस्था को परिषद् द्वारा मान्यता पत्र जारी किये जाने के उपरांत निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रवेशित छात्र-छात्राओं का ऑनलाईन फार्म भरना अनिवार्य होगा।
- (14) किसी भी संस्था के द्वारा सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रम संचालन हेतु आवेदन करने पर आवेदन निर्धारित मापदंड अनुरूप नहीं होने पर संस्था को आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
- (15) परिषद् उपनियम (3) के खण्ड (ड) के अधीन गठित समिति द्वारा भौतिक सत्यापन करने के पश्चात् संस्था द्वारा जमा किया गया आवेदन शुल्क किसी भी दशा में लौटाया नहीं जाएगा।
- (16) किसी संस्था द्वारा स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए, स्नातक (डिग्री) पाठ्यक्रम का एक बैच उत्तीर्ण होना आवश्यक है एवं संस्था के स्वामित्व/प्रबंधन प्राप्त 100 बिस्तरीय अस्पताल में कुल ओ.पी.डी. का 25 प्रतिशत आवेदित संबंधित विषय में आई.पी.डी. होना आवश्यक है जो कि ऑन लाईन माड्यूल के माध्यम से प्रविष्टि करना अनिवार्य होगा।
- (17) अनुसूची-दस में दर्शायी गई कंडिका-7 के अनुसार, आवेदक परिषद् द्वारा निर्धारित अधोसंरचना, शिक्षण और अन्य मानकों की पूर्ति के लिए परिषद् के पक्ष में न्यूनतम पाँच वर्ष के लिए एक सावधि जमा तथा एक से तीन पाठ्यक्रमों के लिए तीन लाख रुपये, एक से दस पाठ्यक्रमों के लिए पाँच लाख रुपये, और दस से अधिक पाठ्यक्रमों के लिए पाँच लाख अतिरिक्त के साथ प्रत्येक अतिरिक्त पाठ्यक्रमों के लिए दो लाख की दर से प्रस्तुत करेगा। यदि परिषद् का यह मत है कि संस्था परिषद् नियमों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तो संस्था द्वारा प्रस्तुत की गई सावधि जमा (एफ.डी.आर.) परिषद् द्वारा राजसात कर ली जायेगी।

5. मान्यता अवधि.—

- (1) संस्था को परिषद् के पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करना होगा। तत्पश्चात् संस्थाओं को भौतिक सत्यापन/निरीक्षण उपरांत निरीक्षण टीम/अनुशंसा के आधार पर परिषद् विधिवत् प्रस्ताव तैयार कर अनुशंसा सहित राज्य शासन को प्रेषित करेगी। राज्य शासन की अनुमति/प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत मान्यता पत्र परिषद् स्तर से जारी किया जाएगा।
- (2) प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत विषयवार, सीटवार मान्यता प्रदान की जायेगी एवं आवेदित विषयों में प्रवेशित छात्रों के शैक्षणिक पाठ्यक्रम की कालावधि पूर्ण होने तक उक्त के संबंध में संस्था को मान्यता होगी।
- (3) किसी भी नवीन सह-चिकित्सीय शिक्षण संस्था को स्थापित करने तथा विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए अनुज्ञा आरंभ में एक वर्ष की पाठ्यक्रम कालावधि के लिए प्रदान की जायेगी।
- (4) केवल केन्द्र शासन अथवा राज्य शासन के किसी विभाग, उपक्रम, संस्था आदि द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्था को प्रभावशील शुल्क नियमित जमा करने की शर्त पर, परिषद् के अनुमोदन उपरांत स्थाई मान्यता दी जा सकेगी।
- (5) शिक्षण संस्था को सीट वृद्धि, नवीन प्रवेश, नवीन पाठ्यक्रमों के प्रारंभ हेतु संस्था को पुनः मान्यता आवेदन पत्र विधिवत् प्रस्तुत करना होगा।
- (6) शिक्षण संस्था को सीट वृद्धि, नवीन प्रवेश, नवीन पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने हेतु ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् नियम 4 के उपनियम (3) के खण्ड (ड) के अधीन गठित समिति के माध्यम से भौतिक निरीक्षण करवाना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् निरीक्षण समिति की अनुशंसा अनुसार परिषद् विधिवत् प्रस्ताव तैयार कर राज्य शासन को प्रेषित करेगी। राज्य शासन की मंजूरी उपरांत परिषद् स्तर से मान्यता पत्र जारी होगा।

6. मान्यता निरस्तीकरण.—

- (1) निम्न परिस्थितियों में संस्था की संपूर्ण मान्यता अथवा पाठ्यक्रम विशेष के लिए मान्यता निरस्त की जा सकेगी :-
 - (क) संस्था द्वारा नियम 3 में वर्णित आवश्यक अर्हता सतत धारण नहीं करने की दशा में।
 - (ख) संस्था मान्यता हेतु परिषद् को प्रस्तुत आवेदन में यदि परिषद् के संज्ञान में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष तौर पर किसी प्रकार की मिथ्या जानकारी दी जाने की दशा में।

- (ग) प्रवेशित छात्र-छात्राओं के उपस्थिति/पठन-पाठन कार्य संबंधी अनियमितता की दशा में।
- (घ) शिक्षण प्रशिक्षण निम्न स्तर के होने, विद्यार्थी से अनुचित वसूली करने, विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र को अनुचित रूप से रोकने या रोकने का प्रयास करने पर, विद्यार्थियों की सुरक्षा में गंभीर चूक करने अथवा कोई ऐसा कृत्य या चूक करने की दशा में जो किसी शैक्षणिक संस्था की मर्यादा के घोर उल्लंघन में हो।
- (ङ) परिषद् द्वारा लिखित/मौखिक तौर पर समय-समय पर प्रदान किये गये निर्देशों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष तौर पर अवहेलना करने पर।
- (2) मान्यता निरस्तीकरण के पूर्व, संस्था को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाएगा तत्पश्चात् संस्था को सात दिवस के भीतर लिखित/ऑनलाईन उत्तर प्रस्तुत न करने की दशा में मान्यता स्वमेव ही निरस्त मानी जाएगी।
- (3) मान्यता निरस्तीकरण के पूर्व, यदि संस्था का लिखित उत्तर परिषद् के अनुसार संतुष्टिकारक प्राप्त नहीं होने की दशा में संस्था की मान्यता निरस्त की जा सकेगी।
- (4) नियम 6 के उपनियम (2) और (3) के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध कोई दीवानी वाद संस्थित नहीं होगा।

7. संस्थाओं का निरीक्षण.—

- (1) परिषद् संस्था का नियमित एवं समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण करवा सकेगी।
- (2) परिषद् संस्था निरीक्षण करने वाली समिति के सदस्यों/निरीक्षणकर्ताओं को निश्चित मानदेय/आवश्यक भत्ता भी प्रदान करेगी।

8. मान्यता शुल्क एवं शिक्षण शुल्क.—

- (1) परिषद् द्वारा समय-समय पर नियत मान्यता एवं शिक्षण शुल्क लागू होगा। वर्तमान शुल्क अनुसूची-बारह के अनुसार है।
- (2) मान्यता शुल्क में प्रतिवर्ष 8 प्रतिशत की दर से वृद्धि परिषद् द्वारा की जाएगी।
- (3) शिक्षण शुल्क में प्रतिवर्ष 7.4 प्रतिशत की दर से वृद्धि परिषद् द्वारा की जाएगी।

9. **शास्ति.**— इन नियमों का उल्लंघन करने की दशा में, संस्था को कारण बताओ सूचना पत्र, सूचना की प्राप्ति की दिनांक से सात दिवस के भीतर जबाब अपेक्षित करते हुए जारी किया जाएगा। जबाब, यदि कोई हो, संतुष्टिकारक नहीं होने पर, संस्था द्वारा जमा प्रतिभूति/सुरक्षा राशि एवं अन्य जमा शुल्क को परिषद् के खाते में राजसात कर लिया जाएगा।

10. **प्रवेश प्रक्रिया.**—

परिषद् पैरामेडिकल अकादमिक कैलेण्डर निर्धारित करेगी। उसके अनुसार संस्थान में अध्ययन हेतु प्रवेश के संबंध में निम्न प्रक्रिया अपनायी जाएगी —

- (1) **विज्ञापन:** संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा।
- (2) **शैक्षणिक अर्हता:** जब तक अन्यथा उपबंधित न किया जाए, परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु, विहित की गई न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता भौतिकी, रसायन और जीवविज्ञान में हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होगी:

परंतु पंचकर्म में प्रमाणपत्र हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान में हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है:

परंतु यह और कि परफ्यूजन में स्नातकोत्तर पत्रोपाधि हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता बी.एससी. (भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान) अनिवार्य है।

- (3) **आयु:** किसी भी पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदक की आयु प्रवेश हेतु विज्ञापन की तिथि को 17 वर्ष कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (4) **प्रवीण्य सूची:** प्राप्त आवेदनों संवीक्षा के उपरांत, न्यूनतम अर्हकारी परीक्षा अर्थात् भौतिकी, रसायन और जीवविज्ञान में यदि लागू हो, हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा में अर्जित अंकों के अनुसार एक मेरिट सूची तैयार की जाएगी। संस्थान में प्रवेश इसी मेरिट सूची के आधार पर दिया जाएगा:

परंतु किसी पाठ्यक्रम के लिए विहित न्यूनतम अर्हता के आधार पर तैयार मेरिट सूची में अंकों की समानता की दशा में,—

- (क) मध्यप्रदेश के मूल निवासी एवं क्रमशः स्थानीय जिले के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी;
- (ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासी से भिन्न उम्मीदवारों को हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा में अर्जित अंकों के आधार पर तैयार मेरिट सूची के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा।

(ग) शिक्षण संस्था ऑनलाईन सीएलसी के माध्यम से प्रवेश ले सकेगी एवं प्रवेश से संबंधित समस्त जानकारी ऑनलाईन परिषद् को प्रेषित करना होगा।

(5) न्यूनतम अर्हकारी अंक.— किसी पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु, अर्हकारी परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक तथा आरक्षित वर्ग के लिए 33 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं।

(6) अन्य शर्तें.—

(क) आरक्षण के संबंध में समय-समय पर राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा।

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी परिपत्र क्र. एफ. सी 3-6/2019/1/3, भोपाल दिनांक 06-05-2019 के अनुसार संस्थान के मान्यता प्राप्त प्रत्येक पाठ्यक्रम में, कुल स्वीकृत सीटों का 10 प्रतिशत ई. डबल्यू.एस. के लिए आरक्षित रखा जाएगा।

(ग) परिषद् द्वारा संस्थान को मान्यता पत्र जारी किये जाने के उपरांत, संस्थान एक माह के भीतर सभी प्रवेशित छात्र-छात्राओं के प्रवेश फार्म ऑनलाईन माध्यम से समस्त वांछित जानकारी/ दस्तावेज सहित जमा करेगा।

(घ) संस्थान में प्रवेशित छात्र-छात्राओं के ऑनलाईन प्रवेश आवेदन भरे जाने हेतु परिषद् द्वारा संस्थान को जी2जी आई.डी. प्रदान की जाएगी।

(ङ) संस्थान द्वारा जी2जी आई.डी. के माध्यम से ऑनलाइन भरे गये प्रवेश आवेदनों की पुष्टि/ सत्यापन/ सुधार हेतु, संस्था को एक माह की कलावधि प्रदान की जाएगी।

(च) संस्थान द्वारा प्रवेशित छात्रों के ऑनलाइन आवेदनों की पुष्टि/ सत्यापन/ सुधार अथवा कमियों की पूर्ति नहीं किये जाने की दशा में, परिषद्, छात्रों का प्रवेश निरस्त करने के लिए बिना कोई नोटिस जारी किए, एक पक्षीय कार्यवाही कर सकेगी, जिसकी समस्त जबाबदारी संस्थान की होगी।

(छ) एक माह की कालावधि समाप्त हो जाने के उपरांत, परिषद् द्वारा जी2जी आई. डी. माध्यम से प्रवेशित छात्रों की सूची पुनः प्रदर्शित की जाएगी, जो कि मान्य होगी।

(7) विलम्ब शुल्क.—

संस्थान द्वारा निर्धारित तिथि के पश्चात् ऑनलाईन सूची जमा किये जाने की दशा में, संस्थान से प्रति छात्र रूपये एक हजार प्रतिदिन के अनुसार अर्थदण्ड वसूल किया जाएगा।

(8) आरक्षण—

(क) संस्थानों में प्रवेश हेतु सीटों के वर्गीकरण/आरक्षण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का पालन किया जाएगा:

परंतु संस्थान द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नियमानुसार आयोजित तृतीय काउंसिलिंग के बाद भी आरक्षित सीटें रिक्त रहने की दशा में, संस्थान प्रवीण्यता के आधार पर प्रवेश प्रदान कर सकेगा।

(ख) पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त संस्थानों को राज्य शासन द्वारा बनाये गये आरक्षण नियमों का पालन करना होगा।

(9) प्रवेश निरस्त किया जाना.—

प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से परिषद् के संज्ञान में आता है कि कोई छात्र/छात्रा की अनियमितता/आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता पाई गई है तो परिषद् उक्त छात्र/छात्रा का प्रवेश निरस्त कर सकेगी।

(10) विविध.—

(क) संस्थान सुनिश्चित करेगा कि किसी वर्ष में किसी पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र उक्त वर्ष में, उक्त पाठ्यक्रम का ही अध्ययन कर रहा है। यदि किसी भी माध्यम से परिषद् के संज्ञान में आता है कि किसी छात्र द्वारा एक ही वर्ष में एक से अधिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया गया है, तो परिषद्, कारण बताओं नोटिस जारी करने और जबाब यदि कोई हो पर विचार करने के पश्चात् संस्थान के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई कर सकेगी।

(ख) संस्थान द्वारा प्रवेश फार्म में दी गई कोई जानकारी असत्य पाए जाने की दशा में, परिषद्, प्रवेश निरस्त कर सकेगी।

(ग) छात्रों/आवेदकों को मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा जारी विज्ञापन में उल्लिखित पाठ्यक्रम/सीटों के अनुसार सीधे संस्थानों को आवेदन करना होगा। परिषद् द्वारा छात्रों के प्रवेश के सम्बन्ध में कोई काउंसिलिंग आयोजित नहीं की जाएगी।

(11) विभागीय कोटा.—

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग में कार्यरत् पात्र पैरामेडिकल कर्मचारियों को, स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में ~~संयोजित~~ पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु परिषद् द्वारा, राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से, कुल स्वीकृत सीटों का अधिकतम 10 प्रतिशत कोटा आरक्षित किया जा सकेगा है।

(12) शुल्क.—

- (क) संस्थान केवल परिषद् द्वारा, राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से, पाठ्यक्रम विशेष के लिए निर्धारित शुल्क प्राप्त कर सकेगा।
- (ख) शासकीय स्वशासी एवं निजी क्षेत्र के समस्त संस्थान छात्रों से केवल परिषद् द्वारा विहित शिक्षण शुल्क प्राप्त कर सकेंगे।
- (ग) छात्रावास सुविधा का लाभ लेने के लिए, छात्रावास शुल्क पृथक से देय होगा।

11. निरसन.—

मध्यप्रदेश सह-चिकित्सा शिक्षा (सह-चिकित्सा संस्थाओं की स्थापना के लिए मानक तथा मार्गदर्शक नियम, 2007) निरसित किए जाते हैं:

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई बात या की गई कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

अनुसूची-एक


(नियम 2 (ग) देखिए)

सह-चिकित्सीय विषयों की अनुसूची

क्र.	पाठ्यक्रम
1.	भौतिक चिकित्सा / व्यावसायिक चिकित्सा पाठ्यक्रम
2.	वाक्शक्ति चिकित्सा पाठ्यक्रम
3.	श्रव्य शास्त्रीय
4.	प्रयोग शाला तकनीशियन (विभिन्न प्रकार के)
5.	किरण तकनीशियन / रेडियोग्राफर
6.	बी.सी.जी. तकनीशियन
7.	साईटो तकनीशियन
8.	अर्थो तकनीशियन
9.	नमूना कक्ष तकनीशियन (मोल्ड रूम टेकनीशियन)
10.	गामा कैमरा तकनीशियन
11.	आर्थोटिक तकनीशियन
12.	आपटोमेटरिस्ट
13.	आर्थोटिक और कांटेक्ट लेन्स
14.	ई. सी. जी. तकनीशियन
15.	अल्ट्रा साउन्ड
16.	एंजियोग्राफी
17.	शल्य क्रिया कक्ष तकनीशियन
18.	मानव पोषण में उपाधि, पत्रोपाधि और प्रमाणपत्र
19.	डायलिसिस तकनीशियन
20.	इन्शूलेशन चिकित्सा तकनीशियन
21.	स्वास्थ्य निरीक्षक पाठ्यक्रम
22.	अस्पताल चिकित्सा अभिलेख विज्ञान
23.	कंपाउंडर (एलोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथी)
24.	बायोकेमी चिकित्सा पद्धति का कंपाउंडर
25.	क्लीनिकल जीव रसायन (क्लीनिकल बायोकेमिस्ट्री) में पत्रोपाधि
26.	सूक्ष्म जीव विज्ञान (माइक्रोबायलाजी)
27.	पैथोलाजी (व्याधिकी)

28.	आपटोमेटरिक रिफरेक्शन
29.	सह-चिकित्सीय नेत्ररोग सहायक
30.	परफ्यूजनिस्ट / कार्डीयक सर्जरी तकनीशियन
31.	केथ प्रयोगशाला तकनीशियन
32.	नैचुरोपैथी
33.	योगा
34.	महिला आयुर्वेदिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता
35.	डिप्लोमा इन आयुर्वेद फार्मसी (डी फार्मा आयुर्वेद).
36.	पंचकर्म टेक्नीशियन पाठ्यक्रम
37.	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष)
38.	डेंटल मेकेनिक्स
39.	डेंटल हाईजीन
40.	डिप्लोमा इन होम्योपैथी फार्मसी (डी. फार्मा होम्योपैथिक)
41.	डिप्लोमा इन यूनानी फार्मसी (डी. फार्मा यूनानी)
42.	डिप्लोमा कोर्सेस ऑफ मेडिकल एंड सर्जिकल हेल्थ असिस्टेंट (डीएमएसएचए)
43.	सर्टिफिकेट कोर्सेस फॉर मेडिकल एंड सर्जिकल हेल्थ असिस्टेंट (सीएमएसएचए)
44.	बैचलर इन रेसपिरेटरी थैरिपिस्ट
45.	डिप्लोमा इन पी.एफ.टी. टेक्नीशियन

अनुसूची-दो
(नियम 3 (1) देखिए)
शैक्षणिक (प्रशासनिक और शैक्षणिक) भवन

क्र.	भवन का नाम 	निर्मित क्षेत्रफल			
		प्रमाणपत्र	पत्रोपाधि	स्नातक	स्नातकोत्तर
1.	प्राचार्य कक्ष/ नोडल अधिकारी	350 वर्गफीट	350 वर्गफीट	350 वर्गफीट	350 वर्गफीट
2.	विभागाध्यक्ष/ प्राध्यापक कक्ष	350 वर्गफीट	350 वर्गफीट	350 वर्गफीट	350 वर्गफीट
3.	स्टॉफ कक्ष (शैक्षणिक)	500 वर्गफीट	500 वर्गफीट	500 वर्गफीट	500 वर्गफीट
4.	कार्यालय विभाग— प्रशासकीय अधिकारी/ सामान्य शाखा / लेखा शाखा / स्थापना शाखा / छात्र शाखा/ कम्प्यूटर शाखा/ अभिलेख शाखा/ क्रीणा शाखा/ गोपनीय अभिलेख/ परीक्षा विभाग	1000 वर्गफीट	1000 वर्गफीट	1000 वर्गफीट	1000 वर्गफीट
5.	सभा कक्ष	250 वर्गफीट	250 वर्गफीट	250 वर्गफीट	250 वर्गफीट
6.	शिक्षण कक्ष 1000 वर्गफीट प्रतिकक्ष	2 कक्ष	3 कक्ष	4 कक्ष	2 कक्ष
7.	हॉल	350 वर्गफीट	350 वर्गफीट	350 वर्गफीट	350 वर्गफीट
8.	एनॉटोमी लैब	1500 वर्गफीट	1500 वर्गफीट	1500 वर्गफीट	1500 वर्गफीट
9.	फिजियोलॉजी लैब	1500 वर्गफीट	1500 वर्गफीट	1500 वर्गफीट	1500 वर्गफीट
10.	पुस्तकालय	1000 वर्गफीट	1000 वर्गफीट	2000 वर्गफीट	2000 वर्गफीट
11.	कम्प्यूटर लैब	1000 वर्गफीट	1000 वर्गफीट	1000 वर्गफीट	1000 वर्गफीट
12.	पेन्ट्री एवं कैंटीन	1000 वर्गफीट	1000 वर्गफीट	1000 वर्गफीट	1000 वर्गफीट
13.	कॉमन कक्ष (छात्र और छात्राओं को पृथक-पृथक)	500 वर्गफीट	500 वर्गफीट	1200 वर्गफीट	1200 वर्गफीट
14.	वॉटर कूलर	200 वर्गफीट	200 वर्गफीट	200 वर्गफीट	200 वर्गफीट
15.	प्रसाधन (टायलेट/ वॉश वेसिन) छात्रों के लिए	1000 वर्गफीट	1000 वर्गफीट	1000 वर्गफीट	1000 वर्गफीट
16.	प्रसाधन (टायलेट/ वॉश वेसिन) छात्राओं के लिए	1000 वर्गफीट	1000 वर्गफीट	1000 वर्गफीट	1000 वर्गफीट

नोट :- संबंधित पाठ्यक्रम वार पॉलीवार कक्षाएँ संचालित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

अनुसूची-तीन
(नियम 3 (1) देखिए)
शैक्षणिक (प्रशानिक और शैक्षणिक) भवन

क्र.	भवन कक्ष का नाम	निर्मित क्षेत्रफल
1.	छात्रावास कक्ष	प्रत्येक दो छात्रों हेतु 200 वर्गफीट
2.	स्नानगृह	प्रति 2 छात्रों हेतु एक
3.	शौचालय	प्रति 2 छात्रों हेतु एक
4.	अतिथि कक्ष	200 वर्गफीट न्यूनतम एक कक्ष
5.	भण्डार	800 वर्गफीट
6.	डाइनिंग हॉल	प्रति छात्र 10 वर्गफीट
7.	रसोई एवं भण्डार कक्ष	500-500 वर्गफीट
8.	वार्डन कक्ष/ कार्यालय	प्रति वार्डन 200 वर्गफीट

टीप: पार्किंग हेतु पर्याप्त स्थान होना आवश्यक है।

अनुसूची-चार
(नियम 4(3) देखिए)

चिकित्सालय की आवश्यकता

क्र	विवरण	प्रमाणपत्र	पत्रोपाधि	स्नातक	स्नातकोत्तर
1.	विस्तर संख्या (एलौपैथी पाठ्यक्रमों हेतु)	100	100	100	100
2.	विस्तर संख्या (आयुष से संबंधित पाठ्यक्रमों हेतु)	50	50	100	100

टीप: स्नातकोत्तर उपाधि, पत्रोपाधि एवं प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के लिए 1:3 (एक विस्तर पर तीन छात्र/छात्राएँ) के औसत अनुपात के आधार पर आवश्यक अधौसंरचनात्मक सुविधाओं के साथ एक अस्पताल होना आवश्यक है।

**अनुसूची-पॉच
(नियम 4(4) देखिए)
शैक्षणिक स्टॉफ**

अ-आवश्यक पद

क्र	पदनाम	प्रमाणपत्र	पत्रोपाधि	स्नातक	स्नातकोत्तर
1.	प्राचार्य			1	
2.	प्राध्यापक	--	--	--	1
3.	सह-प्राध्यापक	--	--	1	1
4.	सहायक प्राध्यापक	1	2	2	2
5.	डेमोन्स्ट्रेटर/ ट्यूटर	2	2	2	2

ब-शैक्षणिक पद हेतु आवश्यक अर्हताएं

क्र	पदनाम	प्रमाणपत्र	पत्रोपाधि	स्नातक	स्नातकोत्तर
1.	प्राचार्य	संबंधित संकाय से चिकित्सीय क्षेत्र में स्नातकोत्तर अथवा सह चिकित्सीय क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधिधारी होना अनिवार्य है। साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान में न्यूनतम 15 वर्ष का शैक्षणिक कार्यानुभव	संबंधित संकाय से चिकित्सीय क्षेत्र में स्नातकोत्तर अथवा सह चिकित्सीय क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधिधारी होना अनिवार्य है। साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान में न्यूनतम 15 वर्ष का शैक्षणिक कार्यानुभव	संबंधित संकाय से चिकित्सीय क्षेत्र में स्नातकोत्तर अथवा सह चिकित्सीय क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधिधारी होना अनिवार्य है। साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान में न्यूनतम 15 वर्ष का शैक्षणिक कार्यानुभव	संबंधित संकाय से चिकित्सीय क्षेत्र में स्नातकोत्तर अथवा सह चिकित्सीय क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधिधारी होना अनिवार्य है। साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान में न्यूनतम 15 वर्ष का शैक्षणिक कार्यानुभव
2.	प्राध्यापक	संबंधित संकाय से चिकित्सीय/सह चिकित्सीय क्षेत्र में संबंधित विषय में स्नातकोत्तर अथवा सह चिकित्सीय क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधिधारी होना अनिवार्य है। साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान में न्यूनतम 10 वर्ष का शैक्षणिक कार्यानुभव	संबंधित संकाय से चिकित्सीय/सह चिकित्सीय क्षेत्र में संबंधित विषय में स्नातकोत्तर अथवा सह चिकित्सीय क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधिधारी होना अनिवार्य है। साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान में न्यूनतम 10 वर्ष का शैक्षणिक कार्यानुभव	संबंधित संकाय से चिकित्सीय/सह चिकित्सीय क्षेत्र में संबंधित विषय में स्नातकोत्तर अथवा सह चिकित्सीय क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधिधारी होना अनिवार्य है। साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान में न्यूनतम 10 वर्ष का शैक्षणिक कार्यानुभव	संबंधित संकाय से चिकित्सीय/सह चिकित्सीय क्षेत्र में संबंधित विषय में स्नातकोत्तर अथवा सह चिकित्सीय क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधिधारी होना अनिवार्य है। साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान में न्यूनतम 10 वर्ष का शैक्षणिक कार्यानुभव

3.	सह-प्राध्यापक	संबंधित संकाय से चिकित्सीय/सह चिकित्सीय क्षेत्र में संबंधित विषय में स्नातकोत्तर अथवा सह चिकित्सीय क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधिधारी होना अनिवार्य है। साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान में न्यूनतम 5 वर्ष का शैक्षणिक कार्यानुभव	संबंधित संकाय से चिकित्सीय/सह चिकित्सीय क्षेत्र में संबंधित विषय में स्नातकोत्तर अथवा सह चिकित्सीय क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधिधारी होना अनिवार्य है। साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान में न्यूनतम 5 वर्ष का शैक्षणिक कार्यानुभव	संबंधित संकाय से चिकित्सीय/सह चिकित्सीय क्षेत्र में संबंधित विषय में स्नातकोत्तर अथवा सह चिकित्सीय क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधिधारी होना अनिवार्य है। साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान में न्यूनतम 5 वर्ष का शैक्षणिक कार्यानुभव	संबंधित संकाय से चिकित्सीय/सह चिकित्सीय क्षेत्र में संबंधित विषय में स्नातकोत्तर अथवा सह चिकित्सीय क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधिधारी होना अनिवार्य है। साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान में न्यूनतम 5 वर्ष का शैक्षणिक कार्यानुभव
4.	सहायक प्राध्यापक	संबंधित संकाय से सह चिकित्सीय क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष का शैक्षणिक कार्यानुभव	संबंधित संकाय से सह चिकित्सीय क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष का शैक्षणिक कार्यानुभव	संबंधित संकाय से सह चिकित्सीय क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष का शैक्षणिक कार्यानुभव	संबंधित संकाय से सह चिकित्सीय क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष का शैक्षणिक कार्यानुभव
5.	डेमोस्ट्रेटर/ट्यूटर	संबंधित संकाय से सह चिकित्सीय क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का शैक्षणिक कार्यानुभव	संबंधित संकाय से सह चिकित्सीय क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष का शैक्षणिक कार्यानुभव	संबंधित संकाय से सह चिकित्सीय क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष का शैक्षणिक कार्यानुभव	संबंधित संकाय से सह चिकित्सीय क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष का शैक्षणिक कार्यानुभव

नोट- 1. सरल क्र. 01, 04 एवं 05 पर अंकित पद पूर्णकालिक होना अनिवार्य है।

- सरल क्र. 02 एवं 03 पर अंकित पद 50 प्रतिशत अतिथि विद्वान (वि 1य विशेषज्ञों) एवं 50 प्रतिशत (सह-चिकित्सीय कर्मी) पद पूर्ण कालिक के द्वारा भरे जायेंगे।
- सरल क्र. 01, 02, 03 04 एवं 05 पर अंकित पद पर अभ्यर्थी का संबंधित पाठ्यक्रम की योग्यता अनुसार मध्यप्रदेश की परिषद्/बोर्ड में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। अधिकारी (पैरामेडिकल शाखा) को भी मान्य किया जाएगा।
- उपरोक्तानुसार अ-आवश्यक पद न्यूनतम प्रति 50 छात्रों हेतु मान्य की जायेगी।
- शासकीय क्षेत्र में कार्यरत पैरामेडिकल संस्थान में प्राचार्य के स्थान पर नोडल अधिकारी होंगे।
- संकाय से संबंधित अन्य समस्त पाठ्यक्रमों में आवश्यकतानुसार संस्था में कार्यरत पूर्ण कालिक एवं अतिथि विद्वान शिक्षक अपनी सेवायें दे सकेंगे।
- उपरोक्तानुसार अ-आवश्यक पद प्रति पाठ्यक्रमानुसार है।
- समस्त पाठ्यक्रम (स्नाकोत्तर को छोड़कर) हेतु उक्त के अतिरिक्त प्रति 50 छात्रों के लिए एक सहायक प्राध्यापक एवं अतिरिक्त ट्यूटर होना आवश्यक है।

अनुसूची-छह

(नियम 4(4) (ख) देखिए)

संस्था में कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक स्टाँफ हेतु आवेदन

(1) व्यक्तिगत जानकारी

1. नाम
2. पिता का नाम
3. पद नाम
4. निवास का पता
5. स्थाई निवास का पता
6. जन्मतिथि
7. उम्र
8. आधार नम्बर
9. मोबाइल नम्बर
- 10.
11. ई-मेल आईडी
12. परिषद्/ अधिकृत शासकीय संस्था का पंजीकरण नम्बर

स्वप्रमाणित पासपोर्ट
आकार का रंगीन
फोटो

संचालक द्वारा प्रमाणन
एवं मुद्र के साथ

(2) शैक्षणिक योग्यता

पाठ्यक्रम का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	संस्था जहां से परीक्षा उत्तीर्ण की है	बोर्ड/ वि.वि. का नाम	प्राप्तांक/ प्रतिशत

(3) कार्यानुभव

पदनाम	संस्था का नाम	संस्था संचालक नाम एवं पता एवं दूरभाष न.	कार्याविधि	क्लीनिकल/ शैक्षणिक दिनांक से दिनांक तक

प्रस्तावित संस्था संचालक का नाम
एवं पदनाम
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

आवेदक के हस्ताक्षर
दिनांक मोबाईल न.
एवं निवास का पता

अनुसूची-सात

(नियम 4(4) (ग) देखिए)

अ- गैर-शैक्षणिक स्टॉफ हेतु आवश्यक पद

क्र.	पदनाम	अर्हताएं	संख्या
1.	लिपिक / क्लर्क	स्नातक एवं हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण का कम्प्यूटर का पूर्ण ज्ञान	02
2.	लाइब्रेरियन	लाइब्रेरियन में स्नातक एवं पत्रोपाधि धारित होना आवश्यक है	01
3.	प्रयोगशाला सहायक	बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण	प्रत्येक प्रयोगशाला हेतु 01-01 पद
4.	चौकीदार / भृत्य / सफाई कर्मी	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण	01-01-01 पद
5.	वाहन चालक	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण (वाणिज्यक लाइसेंस धारी)	प्रति वाहन हेतु एक

ब- छात्रावास स्टॉफ हेतु आवश्यक पद

क्र.	पदनाम	अर्हताएं	संख्या
1.	वार्डन	होम साईंस / हाउसकीपिंग में स्नातक पत्रोपाधि धारी	02
2.	कुक	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण	02 (प्रति 50 छात्रों हेतु)
3.	चौकीदार / भृत्य / सफाई कर्मी	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण	01-01-01 पद

अनुसूची-आठ

(नियम 4 (5) देखिए)

पुस्कालय एवं लैब हेतु आवश्यक उपकरण

क्र.	शैक्षणिक अधोसंरचना	आवश्यकता	संख्या
1.	पुस्तकालय में पुस्तकें	आवेदित पाठ्यक्रम के सिलेबस के अनुसार	प्रतिविषय न्यूनतम 3 पुस्तकें
2.	उपकरण	आवेदित पाठ्यक्रम के सिलेबस के अनुसार	आवश्यकतानुसार

अनुसूची-नौ

(नियम 5 (3) देखिए)

निरीक्षण समिति द्वारा भौतिक सत्यापन हेतु प्रपत्र

क्र.	मापदण्ड	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	संस्था पंजीयन उद्देश्य का तथा	परिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सह-चिकित्सीय संस्थाओं को पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए संस्था का पंजीयन तथा संस्था की नियमावली में चिकित्सा शिक्षा का उद्देश्य सम्मिलित होना आवश्यक है।	संस्था का पंजीयन नं. नाम: पता... ई- मेल आय डी
2.	ऑडिट रिपोर्ट	परिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सह-चिकित्सीय संस्थाओं को पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए संस्था के पास आवश्यक ऑडिट रिपोर्ट होना आवश्यक है। संस्था की विगत तीन वर्षों की आडिट रिपोर्ट की सत्यापित प्रति।	चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म का नाम: चार्टर्ड एकाउंटेंट का नामकृ पता... माबाईल ई- मेल आय डी
3.	भूमि	परिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार शहरी क्षेत्र में आधा एकड़ अथवा ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम एक एकड़ संस्था के नाम से पंजीकृत भूमि उपलब्ध होना आवश्यक है।	भूमि का क्षेत्र मूस्वामी नाम: पता... कुल क्षेत्रफल एकड़ में भूमि का प्रकार
4	भवन	परिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सह-चिकित्सीय संस्थाओं को पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए संस्था के पास आवश्यक भवन सुविधा उपलब्ध होना आवश्यक है। संस्था के स्वामित्व में परिषद् द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार महाविद्यालय भवन (महाविद्यालय भवन के फोटोग्राफ/ले-आउट प्लान आदि)	स्वयं / किराये के आधार पर भवन का पता.... भवन स्वामी नाम. प्ता: कुल क्षेत्रफल वर्गफीट: भूमि का प्रकार अनुबंध दिनांक

5.	शैक्षणिक स्टॉफ	परिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सह चिकित्सीय संस्थाओं को पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए संस्था के पास आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ उपलब्ध होना आवश्यक है। (कालेज कोड 28 अनुसार) नियुक्त/सहमति प्राप्त शैक्षणिक स्टाफ के बायोडाटा की सत्यापित प्रतियाँ	प्राचार्य का नाम: प्राचार्य का मो.नं... ई - मेल आय डी कुल शैक्षणिक स्टाफ कुल गैर शैक्षणिक स्टाफ.
6.	पुस्तकालय	परिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सह-चिकित्सीय संस्थाओं को पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए संस्था के पास आवश्यक पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध होना आवश्यक है।	लाइब्रेरीयन का नाम... लाइब्रेरीयन का मो.नं: कुल पुस्तक संख्या:
7.	चिकित्सालय	परिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सह-चिकित्सीय संस्थाओं को पाठ्यक्रम के संचालन के लिए संस्था के पास न्यूनतम 100 बिस्तरों का निज एलोपैथिक चिकित्सालय उपलब्ध होना आवश्यक है। 50 या 100 बिस्तरों का आयुर्वेदिक चिकित्सालय उपलब्ध होना आवश्यक है।	स्वयं का /शासकीय चिकि. संबद्धता चिकित्सालय का नाम. ... चिकित्सालय का प्रकार: बिस्तर संख्या... आयुर्वेद चिकि. का नाम: बिस्तर संख्या
8.	निरीक्षण समिति की टीप/अनुशंसा		

क्र.	निरीक्षणकर्ता का नाम एवं पदनाम	कार्यालय का पता	मोबाइल न.	हस्ताक्षर
1.				
2.				
3.				

अनुसूची-दस
(नियम 5 (3) देखिए)

कार्यालय, रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्
(मध्यप्रदेश शासन का कानूनी निकाय)

राज्यीय तल, प्लेटिनम प्लाजा, माता मन्दिर रोड, भोपाल

क्र./कॉलेज/ एफ-.../ए..... / /2021भोपाल दिनांक

आदेश

राज्य शासन के अनुमोदन उपरांत मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम 2000 (क्रमांक 1. सन 2001) की धारा-24 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में करते हुए के द्वारा संचालित को जिले में निम्नानुसार विषय तथा प्रवेश संख्या के आधार पर शिक्षण सत्र(एक वर्ष) के लिए पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालित करने की सशर्त अस्थायी अनुज्ञा प्रदानकी जाती है।

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	डिग्री/डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमे	स्वीकृत सीट संख्या
1.			
2.			
3.			
4.			

आवश्यक निर्देश:

1. संस्था को म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद् के समस्त नियम विनियम अनुसार प्रवेश तथा अन्य कार्यवाही संपन्न कर, परिषद् द्वारा जारी पाठ्यक्रम अनुसार शिक्षण करवाना होगा। पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में संस्था द्वारा परिषद् द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक छात्रों के प्रवेश किए जा सकेंगे।
2. मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् के नियम विनियम अनुरूप निर्धारित संख्या द्वारा महाविद्यालय में उपयुक्त योग्य शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सत्र प्रारंभ होने के पूर्व की जाना आवश्यक होगा तथा परिषद् को यथाशीघ्र सूचित किया जाएगा।
3. संस्था द्वारा म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद् द्वारा बनाये गये प्रवेश नियमों के अनुसार ही छात्रों के प्रवेश की कार्यवाहीकी जावेगी।
4. शासन/परिषद् की ओर से समय-समय पर किए जाने वाले सामान्य एवं आकस्मिक निरीक्षण के दौरान संस्था को आवश्यक सहयोग प्रदान करना होगा एवं संस्था द्वारा ऑन

लाईन आवेदन के समय दी गई जानकारी जिसको कि शपथ पत्र के माध्यम से सत्यापित किया गया है उसमें यदि असत्यता पाई जाती है तो संस्था की मान्यता निरस्तीकरण के संबंध में एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

5. संस्था को उपरोक्त उल्लिखित समस्त सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों की विषयवार सत्यापित सूची (छात्र का नाम, पिता/पति का नाम, शैक्षणिक अर्हता, प्रवेशित पाठ्यक्रम का नाम, प्रवेश क्र. एवं दिनांक, जन्मतिथि, निवास का पता, इत्यादि) निर्धारित तिथि..... तक म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद् को अनिवार्य रूप से एम. पी. ऑनलाईन के माध्यम से ऑनलाईन जमा करानी होगी। निर्धारित तिथि के पश्चात् नियमानुसार परिषद् प्रतिदिन प्रति छात्र एक हजार का विलम्ब शुल्क प्राप्त कर सकेगी। जिसके लिए संस्था जिम्मेदार होगी।
6. मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् द्वारा पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित अधिकतम शिक्षण शुल्क के अनुसार ही संस्था को कार्यवाही करना आवश्यक होगा।
7. उपरोक्त आदेश जारी होने के एक सप्ताह के भीतर संस्था को मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् के नाम से राशि रूपए :..... की एफडीआर/सावधि जमा की मूल प्रति न्यूनतम तीन वर्ष की वैधता अवधि हेतु सुरक्षा निधि (एफडीआर) के रूप में जमा करना आवश्यक होगा।
8. डिप्लोमा/डिग्री/ पीजी सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश के पूर्व संस्था को संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करना आवश्यक होगा।
9. निर्धारित समयावधि में सुरक्षा राशि के रूप में जमा कराए जाने का सत्यापन प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् को प्रस्तुत करने में विफल होने पर, संस्था द्वारा प्रवेशित छात्रों के ऑनलाईन प्रवेश फार्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
10. मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अधिनियम 2000 (क्रमांक 1 सन 2001) की धारा 44 (1) एवं (2) में उल्लेखित प्रावधानों के परिपेक्ष्य में सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रम उत्तम अभ्यर्थियों को परिषद् में नामांकन (पंजीयन) हेतु संस्था स्तर से समस्त आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस प्रकार संस्था से उत्तीर्ण छात्रों को मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय नामांकन (पंजीयन) की सम्पूर्ण जबाबदारी संस्था की होगी।
11. मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् बाबत दी गई अनुज्ञा/मान्यता किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।

12. संस्था द्वारा संचालित/अनुमति प्राप्त सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रमों की शैक्षणिक सत्र
.. की निरन्तरता नवीन पाठ्यक्रम बाबत संस्था का परिषद् द्वारा निर्धारित तिथि तक मान्यता शुल्क ऑनलाइन जमा करना आवश्यक होगा। जिसके लिए संस्था जिम्मेदार होगी।

रजिस्ट्रार

मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्

क्र./ कालेज / एफ- / । / / 2021

भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. विशेष सहायक, मान, मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल
5. आयुक्त, आयुष, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. आयुक्त,.....
7. कलेक्टर, जिला.....
8. कुलसचिव, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
9. कुलसचिव,.....
10. अधिष्ठाता.....
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला,.....
12. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला,.....
13. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण जिला-.....
14. संचालक एनआईसी मध्यप्रदेश स्टेट सेन्टर विन्ध्यांचल भवन भोपाल
15. संचालक, ,.....
16. संचालक, एम.पी. ऑनलाईन, डेवलपमेंट कार्यालय, तृतीय तल, स्टेट आईटी पार्क, अब्बास नगर, नियर आर.जी.पी.वी.गांधी नगर, भोपाल। (उक्तानुसार प्रवेश फार्म संबंधी आगामी कार्यवाही हेतु।)
17. आदेश फाईल

रजिस्ट्रार

मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद्

अनुसूची-ग्यारह
(नियम 4 (3) देखिए)

(अ) चिकित्सालय से संबद्धता पत्र का प्रारूप
स्वामित्व के चिकित्सालय के संबंध में

1. चिकित्सालय का नाम :
2. चिकित्सालय का पता :
3. चिकित्सालय का ई-मेल :
4. दूरभाष नं./ अधिकृत मो.नं. :
5. चिकित्सालय के पंजीयन संबंधी जानकारी
 - 5.1 पंजीयनकर्ता का नाम एवं पदनाम :
 - 5.2 पंजीयनकर्ता का प्रस्तावित पैरोमेडिकल संस्था संचालित करने वाली समिति में पदनाम..... है। :
 - 5.3 पंजीयनकर्ता का मो. नं. / दूरभाष क्र. :
 - 5.4 पंजीयन क्रमांक :
 - 5.5 पंजीयन वैधता अवधि दिनांक से दिनांक. ... तक
 - 5.6 पंजीकृत बिस्तर संख्या

	विभाग	पंजीकृत संख्या	उपलब्ध संख्या
	मेडिकल
	सर्जरी
	हृदयरोग
	डायलिसिस
मास्टर ऑफ	आर्थोपेडिक्स
फिजियोथेरेपी (स्पाटेर्स)			
मास्टर ऑफ	आर्थोपेडिक्स
फिजियोथेरेपी (आर्थो.)			
मास्टर ऑफ	न्यूरोलॉजी
फिजियोथेरेपी			
(न्यूरोलॉजी)			
मास्टर ऑफ	कार्डियोलॉजी
फिजियोथेरेपी			
(कार्डियोलॉजी)			
मास्टर ऑफ	आब्स एंड
फिजियोथेरेपी (आब्स	गायनिक		
एंड गायनिक)			

मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी (जीडियाट्रिक्स)	आर्थोपेडिक्स
मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी (ऑनकोलॉजी)	आर्थोपेडिक्स
मास्टर ऑफ ऑक्यूपेशनल इन पीडियाट्रिक्स	पीडियाट्रिक्स
5.7 उपकरण संबंधी	उपकरण एक्स-रे मशीन सी.टी.एम.आर.आई. ई.सी.जी. पैथालॉजी फिजियोथेरेपी		
6	विगत वर्ष कुल ओ.पी.डी. मरीजों की संख्या	:
7	विगत वर्ष कुल आई.पी.डी. मरीजों की संख्या	:
8	पैरामेडिकल पाठ्यक्रम के लिए चिकित्सालय के संबद्धता		
1	पैरामेडिकल शिक्षण संस्था का नाम	:
2	पैरामेडिकल संस्था संचालक का नाम	:
3	पाठ्यक्रमों का नाम	:
4	संबद्धता दिवस दिनांक	से दिनांक	तक

चिकित्सालय के पंजीयनकर्ता का नाम
हस्ताक्षर, दिनांक, पदमुद्रा सहित

अनुसूची-बारह
(नियम 10 देखिए)

प्रति पाठ्यक्रम आवेदन शुल्क

क्र.	पाठ्यक्रम	आवेदन शुल्क	स्वीकृत सीटें	अधिकतम सीटें जिन्हें अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर स्वीकृत किया जा सकेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	स्नातकोत्तर	76,220 प्रति पाठ्यक्रम	05	20
2.	स्नातक	41,570 प्रति पाठ्यक्रम	50	200
3.	डिप्लोमा	27,720 प्रति पाठ्यक्रम	50	200
4.	प्रमाण-पत्र	21,940 प्रति पाठ्यक्रम	50	200

- टीप: 1. उपरोक्त शुल्क शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु निर्धारित किया गया है।
2. उपरोक्त शुल्क में प्रतिवर्ष 8 प्रतिशत की स्वतः बढ़ोत्तरी होगी, जिसे निकटतम 10 के पूर्णांक में निर्धारित किया जाएगा।
3. मान्यता के लिए देरी से आवेदन करने की दशा में, उस पर अध्यक्ष, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् के अनुमोदन के पश्चात् विचार किया जाएगा, यदि उप नियम (1) के अधीन विहित आवेदन फीस के साथ निम्नानुसार अतिरिक्त फीस जमा की जाती है :-
4. किसी भी पाठ्यक्रम में कॉलम (5) में यथाविहित अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए कॉलम (3) में विहित शुल्क के अतिरिक्त भुगतान पर सीटों में वृद्धि की जा सकेगी।

1.	निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन	कोई अतिरिक्त फीस नहीं
2.	निर्धारित अंतिम तिथि से 15 दिवस तक	विहित फीस के 5 प्रतिशत के बराबर राशि
3.	निर्धारित अंतिम तिथि से 30 दिवस तक	विहित फीस के 10 प्रतिशत के बराबर राशि
4.	मान्यता हेतु निर्धारित अंतिम तिथि से 30 दिवस की कालावधि के पश्चात् आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।	

शिक्षण शुल्क

क्र.	पाठ्यक्रम	शिक्षण शुल्क
1.	स्नातकोत्तर	1,33,060 / -
2.	स्नातक	74,520 / -
3.	डिप्लोमा	47,910 / -
4.	प्रमाण-पत्र	34,604 / -

- टीप: 1. उपरोक्त शुल्क शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु निर्धारित किया गया है।
2. उपरोक्त शुल्क में प्रतिवर्ष 7.4 प्रतिशत की स्वतः बढ़ोत्तरी होगी, जिसे निकटतम 10 के पूर्णांक में निर्धारित किया जाएगा।

No. F-5-08-2021-1-LV. — In exercise of the powers conferred by Section 45 of the Madhya Pradesh Sah Chikitsiy Parishad Adhiniyam, 2000 (No. 1 of 2000), the State Government, hereby, makes the following rules for prescribing norms and guidelines to establish Paramedical Education Institutions in the State, namely:-

RULES

1. **Short title, Extent and Commencement.-**

- (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Paramedical Education Institutions (Norms and Guidelines) Establishment Rules, 2021.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.
- (3) (a) These rules shall apply on all the institutions being run in Madhya Pradesh for teaching-training of Paramedical courses.
(b) Academic Certificate / Mark sheet issued to a student after successful completion of any course under these rules shall be valid in whole India as well as Madhya Pradesh.

2. **Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Act" means the Madhya Pradesh Sah Chikitsiy Parishad Adhiniyam, 2000 (No. 1 of 2001);
- (b) "Council" means the Madhya Pradesh Paramedical Council constituted under Section 3 of the Act;

- (c) "Paramedical subjects" means subjects mentioned in Schedule-I;
- (d) "Schedule" means schedules appended to these rules.

3. **Qualifications for recognition of Educational Institution.-**

(1) **Academic Building (Administrative and Educational):**

- (a) Academic Building shall be in accordance with Schedule-II.
- (b) In case new Paramedical Institute is to be established, the academic building shall be owned by Institution but in case building is not owned by institution, building on rent may be considered provided that registered lease deed for a period of minimum 5 years is mandatory.
- (c) Institution being run previously may be given recognition on the basis of rented building only for a period of five years but the Institution shall mandatorily have to own the building after five years. In case the building is not owned even after five years, the institution shall not be eligible to take new admission and only the students already admitted may study to complete the period of their course.
- (d) The academy building should be owned by the applicant new institution but if the institution does not own its academy building, then the applicant institution shall submit a Fixed Deposit (FDR) of an amount of Rs. 20 lakh in favor of the council at the time of application. This Fixed Deposit (FDR) shall be

kept for 05 years by the council. If the institution does not build its own academy building in 5 years, then the fixed deposit (FDR) of the said amount of Rs 20 lakh submitted by the institution shall be forfeited and the said institution/ committee /college shall not be recognized for new admission and having been blacklisted, the institution/ committee/college, shall never be able to apply anywhere in the State to start an institute.

- (e) For establishment of a new Para-medical institution, the case related to recognition may be considered only if the institution owns /manages the hospital in accordance with the criteria mentioned in Schedule-IV.

(2) Hostel:

- (a) Hostel Building shall be in accordance with Schedule-III.
- (b) Hostel Building shall be owned by Institution but in case building is not owned by institution, the building on rent may be considered provided that registered lease deed/ registered rent agreement for a period of minimum 5 years is mandatory.

(3) Qualified Hospital for Practical Training:

- (a) **For new institutions-** For establishment of a new Para-medical institution, the case related to recognition may be considered only if the institution owns /manages the hospital in accordance with the criteria mentioned in Schedule-IV.

(b) On the basis of affiliation with Government hospital (for only institutions running previously)-

- (i) for teaching training, applicant institution shall have affiliation as per affiliation letter shown in Schedule- XI with eligible hospital as per criteria mentioned in Schedule-IV
- (ii) The institution wishes to run paramedical courses at district level and block level along with headquarter of division and has got affiliated with Government Hospital having minimum 100 beds, on the basis of average ratio of 1:3 (3 students per bed) then the application for permission may be considered. The said hospital may be affiliated for morning and evening shift wise training.
- (iii) the case of recognition shall be considered only if the maximum distance of the affiliated Government/private hospital from the Institution running paramedical courses is 25 Kilometers, but the institution shall mandatorily facilitate students to transport.
- (iv) in case of receipt of applications of more than ~~one institution in any district~~, the preference shall be determined as per following:-
 - a. first preference shall be given to the paramedical courses running in Government sector. On the basis of training from

- Government hospital / hospital affiliated with Government medical college by any institution operated in Government sector, consideration regarding giving permission may be made;
- b. second preference shall be given on the basis of first recognition obtaining year of the institution;
- c. in case of equality of seniority, the decision shall be taken on the basis of sequential infrastructure (Academic building, Hospital, transport facility etc,) in ownership of the institution;
- d. in case of equality of seniority in the provision mentioned in item(c) of sub-clause (iv) of clause (b) of sub-rule (3), preference shall be given to the applying institution on the basis of online date/time.

(c) On the basis of managing/owning private hospital

- (i) The consideration regarding recognition of paramedical institution may be made on the basis of managing / owning private hospital, but the private hospital shall have minimum 100 beds on the basis of average ratio of 1:3 (3 students per bed). One paramedical institution shall be permitted for practical training in concerning field from only one private hospital.

- (ii) Institution owns/ manages minimum 100 beds hospital, only then application submitted may be considered.
- (iii) compliance of the provision mentioned in sub-clause (iii) of clause (b) of sub-rule (3) shall be mandatory.
- (iv) private hospital owned/ managed by the institution shall have live registration in the Directorate, Health services.
- (v) in case recognition of hospital is cancelled by the Directorate, health services, education institution affiliated to that hospital shall automatically be deemed cancelled and in the said situation the institution shall be wholly responsible in relation to the study of admitted students.

(4) **Teaching and non-teaching Staff:**

- (a) Teaching Staff in the Institution shall be in accordance with Schedule-V.
- (b) Institution shall have to submit application in accordance with Teaching Staff Schedule-VI.
- (c) Administrative and non-teaching staff and staff to run Hostel shall mandatorily be in accordance with Schedule VII.

(5) **Library and Equipment Lab:** Library and lab for equipment shall be in accordance with Schedule VIII.

- (6) Examination result in previous 3 years of the institution must not be less than average of paramedical institutions being run in the State. In case of non compliance of the said condition, new recognition shall not be given.

4. Procedure of Recognition.-

- (1) Eligibility Criteria - The following organizations shall be eligible for permission to set up new Para-medical educational institutions:-
- (a) University of a State or Union Territory;
 - (b) Autonomous body promoted by the Central Government or the State Government;
 - (c) Societies registered under the Societies Registration Act, 1860 (No. 21 of 1860) or registered under any corresponding laws for the time being in force in this behalf in the State;
 - (d) A public, religious or charitable trust registered under the Indian Trusts Act, 1882 (No. 21 of 1882) or the Waqf Act, 1954 (No. 29 of 1954).
- (2) Qualifying Criteria - The eligible organizations shall comply with the provisions of the Act and the regulations made thereunder and as amended from time to time, the organization shall be subject to the following terms and conditions for applying for permission to set up new para-medical educational institutions:-
- (a) The applicant must have para-medical education as one of the main objectives.
 - (b) For three or more courses, applicant must own half an acre of land in urban area or one acre of land in

rural area. But if the land is not owned as per the standards prescribed in these rules, then the applications of such institutions shall not be considered.

- (c) If the recognition of any institution is withdrawn in future on any ground, then the Council shall have the right to transfer the students of such institution to any other recognized institution. The consent of the State Government will be necessary before being transfer.
- (d) The applicant institution shall provide the audit report of the Chartered Accountant for three years along with the application regarding his financial condition and the application to the Audit Council.
- (e) Admission to any permitted institution may be stopped at any stage until the requirements of the various stages of development have been completed in accordance with the Council, till the Council is satisfied.

(3) Recognition Process-

- (a) The Council shall display time bound time-table in respect of recognition on council's website every year.
- (b) Institutions shall compulsorily submit application through online according to time period prescribed by the Council.
- (c) In the first instance, the desirability and prima facie feasibility of setting up the Paramedical Educational Institution at the proposed location shall be

evaluated through the committee constituted by office of Commissioner, Medical Education after prior approval of the Council. Subject experts and officers of the office of Commissioner, Medical Education, shall be included as per requirement in the Committee after prior approval of the Council. Scrutiny work shall be carried out through online. The Committee shall also evaluate the capability of the applicant to provide the necessary resources and infrastructure for the scheme and while evaluating, if the Committee does not prima facie find application as per the rules and in case of providing false information, the application shall be rejected ex-parte and application fee shall be forfeited.

- (d) Thereafter, physical inspection shall be carried out by the committee constituted as per as per clause (e) and all applying institutions (excluding Government institutions) shall necessarily be evaluated every year. On the basis of report submitted by the said Committee, consideration to give recognition shall be made and in special circumstances, physical/ sudden inspection of the institution may be caused through the committee constituted after prior approval of the Council by office of Commissioner, Medical Education.
- (e) The committee for verification shall comprise of the following, namely:-

1.	Collector or his representative not below the rank of Additional Collector / Joint Collector	Chairperson/ Nodal officer
2.	Subject Specialist of Medical College (for those places only where Medical College exists) / Chief Medical and Health Officer or his representative	Member
3.	District AYUSH Officer (Only for those institutions that have applied for AYUSH related courses)	Member

- (4) The said committee shall conduct physical inspection as per the rules laid down by the Council and shall upload online a note regarding physical inspection with clear recommendation and audio/visual video of physical inspection through online module.
- (5) The committee constituted as per clause (e) of sub-rule (3) shall submit note with clear recommendation, inspection report to the Council online, thereafter the Council shall send proper proposal to the State Government as per recommendation of inspection report.
- (6) After the approval of Course wise / seat number wise proposal by the State Government, recognition shall be issued to the applying institution by the Council.
- (7) The applying institution shall have to submit the application along with the application fee, for recognition as per the prescribed online format as shown in Schedule-IX.

- (8) The applying institution shall have to get registered online in the Council the affiliated hospital required under sub-rule (3) and full time teaching and non-teaching staff required under sub-rule (4) of rule 3 .
- (9) If the applicant institution requests, before conduction of physical inspection, to cancel the application seeking recognition, after making deduction of 25 % amount in application fees, the remaining amount shall be refunded.
- (10) In case application regarding seeking recognition is found completely correct/ satisfactory, the Council shall issue the Recognition Certificate as per the format shown in Schedule-X.
- (11) The Council shall display all the decisions/orders regarding recognition on the website of the Council.
- (12) The Council shall notify the recognition/invalidation letter in respect of application submitted by the institution through e-mail.
- (13) After being recognition letter issued by the council, the institution shall mandatorily fill online form of the admitted students within the prescribed time limit.
- (14) Application fee shall not be refunded to the institution if the application submitted for running paramedical course by any institution does not conform to the prescribed criteria.
- (15) After carrying out physical verification by the committee constituted under rule 3(3)(f), the application fee

deposited by the institution shall not be refunded in any case.

- (16) To start post graduate course by any institution, one batch of graduate course must pass and in the hospital having 100 beds owned/ managed by institution, 25% of total OPD must be IPD in applied concerning subject which shall mandatorily be entered through online module.
- (17) As per item 7 shown in Schedule-X, the applicant shall submit a FD in favour of the Council for minimum five years to fulfill the infrastructural, educational and other standards prescribed by the Council and rupees three lakh for one to three courses, five lakh for one to ten courses, and for more than 10 courses at the rate of two lakh for each additional course in addition to five lakh. If the Council is of the opinion that the institution is not working according to the rules of Council, the FD (FDR) submitted by the institution shall be forfeited by the Council.

5. Recognition Period.-

- (1) The institution shall have to apply online. Thereafter having carried out physical inspection of institution, on the basis of inspection note/ recommendation, the Council shall send proposal being prepared properly with recommendation to the State Government. After permission/ administrative approval of the State Government, recognition letter shall be issued at the Council level.

- (2) After administrative approval, the recognition shall be given subject wise and seats wise and recognition of institution shall continue till the completion of period of academic courses in respect of admitted students in applied subjects.
- (3) Permission for setting up any new Para-medical educational institution and admitting students shall be given initially for the course period of one year.
- (4) The educational institution run only by any department, undertaking, institution etc. of the Central Government or the State Government can be given permanent recognition after administrative approval of the Council on the condition of regular deposit of applicable fee.
- (5) The institution shall have to submit application again as per rules for seats increment, new admission and to start new courses.
- (6) after submitting application online for seats increment, new admission and to start new courses, physical inspection shall mandatorily be caused to make by the committee constituted as per clause (e) of sub-rule (3) of rule 4. Thereafter Council shall send properly prepared proposal as per recommendations of inspection committee to State Government. Recognition letter shall be issued at Council level after approval of the State Government.

6. Cancellation of Recognition.-

(1) In the following circumstances, the entire recognition of the institution or recognition for a particular course may be cancelled:-

(a) In case the institution does not continuously hold the essential qualifications mentioned in rule 3.

(b) In case, if any kind of false information directly / indirectly is given in the application submitted to the council for recognition of the institution, to which the council takes cognizance.

(c) In case of irregularity in the attendance/ learning-teaching activities of the admitted students.

(d) To be of low standard of teaching-training, to make unreasonable recovery from the student, to unreasonably withhold or attempt to withhold the academic papers of the students, to commit serious lapse in the safety of the students or in case of any such act or omission which is in gross breach of the dignity of any educational institution.

(e) Directly / indirectly disobeying the instructions given by the Council in writing / orally from time to time.

(2) Before the cancellation of recognition, a show cause notice shall be issued to the institution, thereafter in case of non-submission of written reply by the institution within seven days, recognition shall be deemed automatically cancelled.

(3) In case the written reply of the institution before the cancellation of recognition is not found satisfactory as per the Council, the recognition of the institution may be cancelled.

(4) No civil suit shall lie against the order passed under sub-rule (2) and (3) of rule 6.

7. Inspection of institutions.-

(1) The Council may conduct regular and sudden inspections of the institution from time to time.

(2) The council shall also provide certain honorarium/ necessary allowance to the members of the committee/inspectors conducting inspection of the institution.

8. Recognition Fee and Tuition Fee.-

(1) Recognition and tuition fee shall be applicable as may be fixed by the Council from time to time. The present fee is as per Schedule-XII.

(2) Increment in the recognition fee shall be made by the Council at the rate of 8% per annum.

(3) Increment in tuition fee shall be made by the Council at 7.4% per annum.

9. **Penalty.-** A show cause notice shall be issued to the Institution in case of violation of these rules, requiring reply within seven days from the date of receipt of notice. If the reply, if any, is not satisfactory, the guarantee/ security amount and other fees deposited by the institution shall be forfeited in the account of the Council.

10. Admission Process.- The Council shall prescribe paramedical academic calendar. Accordingly, the following procedure will be adopted in relation to admission for studies in the institute -

- (1) **Advertisement:** An advertisement shall be issued to invite applications from the candidates interested for admission to the courses recognized by the Institute.
- (2) **Educational Eligibility:** Unless otherwise provided, the minimum educational qualification for admission in any course recognized by the Council, shall be Higher Secondary (10+2) examination pass with Physics, Chemistry and Biology:

Provided that minimum educational qualification Higher Secondary (10+2) examination pass with Physics, Chemistry and Biology shall not be compulsory for Certificate in Panchkarm:

Provided further that B.Sc. (Physics, Chemistry and Biology) shall be minimum educational qualification for Post Graduate Diploma in Perfusion.

- (3) **Age:** The age of the applicant for admission to any paramedical course shall not be less than 17 years and not more than 45 years as on the date of advertisement.
- (4) **Merit List:** After scrutiny of the applications received, a merit list shall be prepared as per the marks obtained in the minimum qualifying examination i.e. Higher Secondary (10+2) examination passed with Physics, Chemistry and Biology if applicable. Admission to the institute shall be given on the basis of the merit list:

Provided that in case of equality of marks in the merit list prepared on the basis of the prescribed minimum qualification for any course,-

- (a) preference shall be given to the candidate domicile of Madhya Pradesh and belongs to the local district respectively;
 - (b) candidates other than the domicile of Madhya Pradesh shall be given admission after preparing merit on the basis of marks obtained in Higher Secondary (10+2).
 - (c) the institution may take admission through online CLC and all information regarding admission shall be submitted online to the Council.
- (5) **Minimum qualifying marks:** For admission to any paramedical course, minimum 40 percent marks for general category and 33 percent marks for reserved category in qualifying examination have been prescribed.
- (6) **Other Conditions:**
- (a) In respect of the reservation, the orders issued by the State Government from time to time shall be followed.
 - (b) In each recognized course of the institute, 10 percent of the total sanctioned seats shall be reserved for EWS as per Circular no. F. C-3-6/2019/1/3, Bhopal dated 06-05-2019, issued by the General Administration Department, Government of Madhya Pradesh.

- (c) After the issuance of recognition letter to the Institute by the Council, the Institute shall submit the admission form of all the admitted students through online along with all the required information/documents within one month.
- (d) For filling the online admission application of the students admitted in the institute, the G2G ID shall be allotted to the institute by the Council.
- (e) Institution shall be given a time period of one month for confirmation/verification/correction of admission applications filled online through G2G ID by the institute.
- (f) In the event of non-confirmation/ verification/ correction or non-fulfillment of the deficiencies of the online applications of the students admitted by the Institute, the Council may, without issuing any notice, take ex-parte action to cancel the admission of the students, whose entire responsibility shall lie with the Institute.
- (g) After the expiry of the time period of one month, the list of students admitted through G2G ID shall be displayed again by the Council, which shall be valid.
- (7) **Late Fee:-** In case of submission of online list by the Institute after the date fixed, a fine of Rs. one thousand per student per day shall be recovered from the institute.
- (8) **Reservation:-**
- (a) In respect of the classification/reservation of seats for admission in the institutes, the orders issued by

the General Administration Department, Government of Madhya Pradesh from time to time shall be followed:

Provided that in case reserved seats are vacant even after third counseling organized by the institute as per rules for admission in any course, the Institute may provide admission on the basis of Merit.

(b) The Institutions permitted by the Medical Education Department to run paramedical courses, shall have to follow the rules of reservation made by the State Government.

(9) **Cancellation of Admission:-** If directly/indirectly, it comes to the notice of the Council that any student has been found to be involved in any irregularities/criminal activities, then the Council may cancel the admission of the said student.

(10) **Miscellaneous:-**

(a) The Institute shall ensure that a student admitted to a course in any year is pursuing the same course in that year. If it comes to the notice of the Council by any means that a student has taken admission in more than one course in the same year, the Council after issuing a show cause notice, to the Institute and after considering reply, if any, may take statutory action against the Institute.

- (b) In case any information furnished by the Institute in the admission form is found to be false, the Council may cancel the admission.
- (c) The students/applicants shall have to apply directly to the Institutes against the courses/seats mentioned in the advertisement issued by the recognized Institutes. No counseling regarding admission of students shall be conducted by the Council.

(11) **Departmental Quota:-** For the eligible paramedical employees working in Public Health and Family Welfare Department and Medical Education Department, a maximum quota of 10 percent of the total sanctioned seats may be reserved by the Council, with the prior approval of the State Government, for admission to paramedical courses run in autonomous medical colleges,.

(12) **Fee:-**

- (a) The Institute may receive only the fee for a particular course prescribed by the Council with the prior approval of the State Government.
- (b) All institutes of government, autonomous and private sector may receive from the students merely the tuition fee prescribed by Council.
- (c) For availing the hostel facility, the hostel fee shall be payable separately.

11. **Repeal.-** The Madhya Pradesh Paramedical Education (Norms and Guidelines for Establishment of Paramedical Institutions) Rules, 2007 are hereby repealed:

Provided that the things done or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been done under the corresponding provisions of these rules.

Schedule-I
[See rule 2 (c)]
List of para-medical subjects

S.No.	Courses
1.	Physiotherapy / Occupational therapy courses
2.	Speech Therapy Course
3.	Audiology
4.	Laboratory Technician (various types)
5.	X-Ray Technician/Radiographer
6.	BCG Technician
7.	Cyto Technician
8.	Ortho. Technician
9.	Sample Room Technician (Mold Room Technician)
10.	Gamma Camera Technician
11.	Orthotic technician
12.	Optometrist
13.	Orthotic and contact lenses
14.	E. C. G. Technician
15.	Ultra Sound
16.	Angiography
17.	Surgical Room Technician
18.	Degree, diploma and Certificates in Human Nutrition
19.	Dialysis Technician
20.	Insulation Medical Technician
21.	Health Inspector Syllabus
22.	Hospital Medical Record Science
23.	Compounder (Allopathy, Ayurvedic, Unani and Homeopathy)
24.	Compounder in Bio-Chemical System of Medicine
25.	Diploma in Shprik Biochemistry (Clinical Biochemistry)

26.	Microbiology
27.	Pathology
28.	Optometric refraction
29.	Para-medical Ophthalmology Assistant
30.	Perfusionist/Cardiac Surgery Technician
31.	Cath-Lab Technician
32.	Naturopathy
33.	Yoga
34.	Female Ayurvedic health worker
35.	Diploma in Ayurveda Pharmacy (D Pharma Ayurveda)
36.	Panchakarma Technician Course
37.	Multipurpose Health Worker (Male)
38.	Dental Mechanics
39.	Dental Hygiene
40.	Diploma in Homeopathy Pharmacy (D. Pharma Homeopathic)
41.	Diploma in Unani Pharmacy (D. Pharma Unani)
42.	Diploma Courses of Medical and Surgical Health Assistant (DMSHA)
43.	Certificate Courses for Medical and Surgical Health Assistant (CMSHA)
44.	Bachelor in Respiratory Therapist
45.	Diploma in. P. F. T. Technician

Schedule-II
[See rule 3(1)]
Academic (Administrative and Academic) Building

No.	Name of Building	Buildup Area			
		Certificate	Diploma	Degree	Post Graduate
1.	Principal Cell / Nodal Officer (For Sh.)	350 sq ft	350 sq ft	350 sq ft	350 sq ft
2.	Head Of Department / Professor Room	350 sq ft	350 sq ft	350 sq ft	350 sq ft
3.	Staff Room (Academic)	500 sq ft	500 sq ft	500 sq ft	500 sq ft
4.	Office Section- Administrative Officer / General Branch / Accounts Branch / Establishment Branch/Student Branch/ Computer Branch/ Record Branch /Sports Branch/ Confidential Records/ Examination Department	1000 sq ft	1000 sq ft	1000 sq ft	1000 sq ft
5.	Conference Room	250 sq ft	250 sq ft	400 sq ft	400 sq ft
6.	Teaching Room 1000 Sq Ft Per Room	02 Rooms	03 Rooms	04 Rooms	02 Rooms
7.	Hall	350 sq ft	350 sq ft	350 sq ft	350 sq ft
8.	Anatomy Lab	1500 sq ft	1500 sq ft	1500 sq ft	1500 sq ft
9.	Physiology Lab	1500 sq ft	1500 sq ft	1500 sq ft	1500 sq ft
10.	Library	1000 sq ft	1000 sq ft	2000 sq ft	2000 sq ft
11.	Computer Laboratory	1000 sq ft	1000 sq ft	1000 sq ft	1000 sq ft
12.	Pantry & Canteen	1000 sq ft	1000 sq ft	1000 sq ft	1000 sq ft
13.	Common Room (Separate For Boys And Girls)	500 sq ft	500 sq ft	1200 sq ft	1200 sq ft
14.	Drinking Water For Water Cooler	200 sq ft	200 sq ft	200 sq ft	200 sq ft
15.	Toiletries (Toilet/ Wash Basin) For Student (Male)	1000 sq ft	1000 sq ft	1000 sq ft	1000 sq ft
16.	Toilets (Toilet/Wash Basin) For Students (Female)	1000 sq ft	1000 sq ft	1000 sq ft	1000 sq ft

Note: there shall be no restriction on conduction of concerning course wise and shift wise classes.

Schedule-III**[See rule 3(2)]****Academic Building (Administrative and academic)**

No	Building Room Name	Built-up Area
01	Hostel Room	200 sq ft for per two students
02	Bath Room	One for per two students
03	Toilet	One for per two students
04	Guest Room	200 sq ft minimum one room
05	Store	800 sq ft
06	Dining Hall	10 sq ft per student
07	Kitchen and store Room	500-500 sq ft
08	Warden Room/ Office	200 sq ft per Warden

Note: Sufficient space should be necessary for parking.

Schedule-IV**[See rule 3(3)]****Requirement of Hospital**

No	Details	Certificate	Diploma	Degree	Post Graduate
1.	Number of Beds (for Allopath)	100	100	100	100
2.	Number of Beds (for courses related to AYUSH)	50	50	100	100

Note: For post graduate degree, diploma and certificate courses, a hospital with necessary infrastructural facilities on the basis of average ratio of 1:3 (3 students per bed) is required.

Schedule-V
[See rule 3(4)]
Teaching Staff

A-Required Posts

No	Name of Post	Certificate	Diploma	Degree	Post Graduate
1.	Principal	1			
2.	Professor	--	--	--	1
3.	Associate Professor	--	--	1	1
4.	Assistant Professor	1	2	2	2
5.	Demonstrator/ Tutor	2	2	2	2

B- Required Qualification for Teaching Posts

No	Name of Post	Certificate	Diploma	Degree	Post Graduate
1.	Principal	Post Graduate in medical field from concerned stream or Post Graduate in paramedical field is compulsory 15 years academic experience in a recognized institution	Post Graduate in medical field from concerned stream or Post Graduate in paramedical field is compulsory 15 years academic experience in a recognized institution	Post Graduate in medical field from concerned stream or Post Graduate in paramedical field is compulsory 15 years academic experience in a recognized institution	Post Graduate in medical field from concerned stream or Post Graduate in paramedical field is compulsory 15 years academic experience in a recognized institution
2.	Professor	Post Graduate from concerned stream in medical/ paramedical field is compulsory Minimum 10 years teaching experience	Post Graduate from concerned stream in medical/ paramedical field is compulsory Minimum 10 years teaching experience	Post Graduate from concerned stream in medical/ paramedical field is compulsory Minimum 10 years teaching experience	Post Graduate from concerned stream in medical/ paramedical field is compulsory Minimum 10 years teaching experience
3.	Associate Professor	Post Graduate from concerned stream in	Post Graduate from concerned stream in	Post Graduate from concerned stream in	Post Graduate from concerned stream in medical/

		medical/ paramedical field is compulsory Minimum 5 years teaching experience	medical/ paramedical field is compulsory Minimum 5 years teaching experience	medical/ paramedical field is compulsory Minimum 5 years teaching experience	paramedical field is compulsory Minimum 5 years teaching experience
4.	Assistant Professor	In concerned stream, minimum 10 years teaching experience in paramedical field	In concerned stream, minimum 10 years teaching experience in paramedical field	In concerned stream, minimum 10 years teaching experience in paramedical field	In concerned stream, minimum 3 years teaching experience in paramedical field
5.	Demonstrator / Tutor	In concerned stream, minimum 5 years teaching experience in paramedical field	In concerned stream, minimum 5 years teaching experience in paramedical field	In concerned stream, minimum 5 years teaching experience in paramedical field	In concerned stream, minimum 2 years teaching experience in paramedical field

Note-

1. The posts mentioned on serial number 01, 04 and 05 must be full time.
2. The posts mentioned on serial number no. 02 and 03, shall be filled as 50 percent by guest scholar (subject experts) and 50 percent (Paramedical personnel) full time.
3. For the post mentioned on serial number 01, 02, 03, 04 and 05, the candidate mandatorily shall, according to the qualification of the respective course, have a live registration in the council / board of Madhya Pradesh.
4. A- Required posts as above, shall be valid for minimum per 50 students.
5. In paramedical institute working in government sector, there shall be Nodal Officer in place of principal.
6. As per the requirement in all other courses related to stream, ~~full time and guest faculty working in the institution may be render their services.~~
7. A- Required posts as above are as per course.
8. for all courses (excluding Post Graduate) one assistant Professor and additional Tutor for each 50 students additional to the said, us mandatory.

Schedule-VI
[See rule 3(4) (b)]
Application for Teaching and non-teaching
Staff working in the Institution

Self attested
recent
passport size
color
photograph
and certified
with seal of
Director

(1) Personal Information

1. Name :
2. Father's Name :
3. Name of post :
4. Residence Address :
5. Permanent Residence Address :
6. Date of Birth :
7. Age :
8. Aadhar Number :
9. Mobile Number :
10. :
11. E-mail ID :
12. Registration No. of council / authorized Government institution :

(2) Educational Qualifications

Name of course	Year of passing	Institution from where the exam was passed	Board/ University	Marks obtained/ percent

(3) work experience

Name of post	Name of institute	Name and address of Director of institute and Mobile no.	Working Period	Clinical/ academic From..to..

Name and post of the
Director of proposed institute
sign and seal

Signature of applicant
Date mobile no.
and residence address

Schedule-VII
[See rule 3(4)(c)]

A-Required Posts for non-teaching Staff

No	Name of Post	Qualification	Number
1.	Clerk	Graduation and Hindi and English Typing complete knowledge of Computer	02
2	Librarian	Graduation in Library and Diploma Holder is compulsory	01
3.	Lab Assistant	Higher Secondary pass	for each lab 01-01 post
4.	Watchman/ peon/ Sweeper	Class 8 th Pass	01-01-01 post
5.	Driver	Class 8 th Pass, valid driving license (Commercial license Holder)	01 for each vehicle

B- Required Posts for Hostel Staff

No	Name of Post	Qualification	Number
1.	Warden	Graduate in Home Science/ House keeping Or Diploma Holder	02
2	Cook	8 th Class pass	02 (per 50 Students)
3.	Watchman/ peon/ Sweeper	8 th Class pass	01-01-01 post

Schedule-VIII
[See rule 3(5)]

A-Required equipment for library and lab

No	Academic infrastructure	Requirement	Number
1.	Books in Library	As per syllabus of course applied	Minimum 3 books per subject
2	Equipment	As per syllabus of course applied	As per requirement

Schedule-IX
[See rule 4(3)]
Format for physical verification by Inspection Committee

No.	Criteria	Details	Page no.
1.	Registration and aim of Institution	As per the norms laid down by the council, for the conduct of the courses by the Paramedical institutions, institution necessarily be registered and the purpose of medical education should be included in the rules of the institution.	Registration No. of Institute Name..... Address e-mail ID
2.	Audit Report	As per the norms laid down by the council, for the conduct of the courses by the Paramedical institutions, the institution should have necessary audit report. Attested copy of last three years audit report of the institution.	Name of Chartered Accountant Firm.. Name of Chartered Accountant. Address Mobile..... e-mail ID
3	Land	As per the norms laid down by the council, institution should have half an acre of land in the urban area or at least one acre in the rural area in its name registered.	Area of land Landlord name.. . Address Total area in acres Type of land
4.	Building	As per the norms laid down by the council, for the conduct of the courses by the Paramedical institutions, institution should have the necessary building facilities. College building owned by Institute as per the norms laid down by the council (Photograph/ layout plan etc. of college building)	own / on rental basis Building address. Building owner name Address Total area sq. ft... Type of land contract from date To
5.	Teaching Staff	As per the norms laid down by the council, for the conduct of the courses by the Paramedical	Principal's name.. Principal's Mo.No. e-mail ID

		institutions, required academic staff should be available with the institution. (As per College Code 28) Attested Copies of resumes of Academic Staff Appointed / Consented.	Total Teaching Staff Total non-teaching staff
6.	Library	As per the norms laid down by the council, for the conduct of the courses by the Paramedical institutions, institution must have the required library facilities.	Name of the librarian Librarian's Mo.. Total No. of books
7.	Hospital	As per the norms laid down by the council, for the conduct of the courses by the Paramedical institutions, Institute is required to have a minimum 100 bed allopathic hospital. Ayurvedic hospital having 50 or 100 beds is required.	Own/Govt. affiliation Name of the Hospital Hospital type No. of Beds Name of Ayurvedic Physician No. of Beds
8.	Note/ recommend ation of inspection Committee		

No.	Name and post of inspector	Address of office	Mobile no.	Signature
1.				
2.				
3.				

Schedule-X**[See rule 4(10)]****Office, Madhya Pradesh Paramedical Council**

(A statutory body of the Government of Madhya Pradesh)

3rd Floor, Platinam Plaza, Mata Mandir Road, Bhopal

No./College/F- .. / A...../ 2021

Bhopal, date:

Order

After the approval of the State Government, in exercise of the powers conferred by section 24 of the Madhya Pradesh Paramedical Council Act 2000 (No. 1 of 2001),in District run by is granted conditional temporary permission to run paramedical courses for academic session (One year) on the basis of subject and admission number as follows-

No.	Name of course	Degree/Diploma/ Certificate Course	Sanction seats
1.			
2.			
3.			
4.			
5			

Important Instructions:-

1. Institution shall have to get teaching done as per syllabus issued by Council having completed admission and other proceedings according to all the rules and regulations of the Madhya Pradesh Paramedical Council. In paramedical courses, students may be admitted by the institution within One Month of order issued as prescribed by the Council.
2. According to the rules and regulations of Madhya Pradesh Paramedical Council, required number of suitable / qualified academic staff shall be appointed in the college

before the commencement of the session and the Council shall be intimated as soon as possible.

3. The admission process of the students shall be carried on by the institution as per the admission rules framed by the Madhya Pradesh Paramedical Council.
4. During the general and sudden inspection to be done from time to time by the Government / Council, the institution shall have to provide necessary support and the If information furnished by the institution at the time of online application, which has been verified through affidavit, is found to be false, then ex-parte action shall be taken regarding cancellation of recognition of the institution.
5. The Institution shall have to submit subject wise verified list of students admitted till prescribed date in all the above mentioned Paramedical courses (name of student, father/husband name, educational qualification, name of the course admitted, admission no. and date, date of birth, address of residence etc.) to the Madhya Pradesh Paramedical Council compulsorily through MP Online. After the stipulated date, Council may get late fee one thousand per student per day as per rules. For which the organization shall be responsible.
6. Institution shall have to proceed according to the maximum tuition fee fixed for paramedical courses by the Madhya Pradesh Paramedical Council.
7. Within a week from the date of issue of this order, the institution shall have to submit original copy of FDR/ Fixed Deposit of amount Rs..... in favour of Madhya Pradesh Paramedical Council for minimum 3 years validity period as security amount (FDR).
8. The institution shall be required to obtain affiliation from the concerned University before admission of students in Diploma /Degree/ PG cum- Paramedical courses.

9. In failure of submitting verification certificate of being deposited amount as security amount in stipulated time to Madhya Pradesh Paramedical Council, online admission forms of the students admitted by institution shall not be accepted.
10. In view of the provisions mentioned in section 44 (1) and (2) of the Madhya Pradesh Paramedical Council Act 2000 (No. 1 of 2001), all necessary action for candidates passed the Paramedical courses shall be taken at the institution level for enrollment (registration) in the council. Thus the entire responsibility of Madhya Pradesh Paramedical Enrollment (Registration) to the students who have passed from the institute shall lie with the institution.
11. In view of the provisions mentioned in section 33 (1), (2) and (3) of the Madhya Pradesh Paramedical Council Act 2000 (No. 1 of 2001), the courses being completed and merit expected in examination being taken or given examination, or staff, equipment, residence facility in the institution, training and other facilities being given in it are not find as per level prescribed by the paramedical council, the Permission given in respect of run the paramedical courses may be terminated at any time.
12. For continuity of run / recognized paramedical courses by institution in session, for new courses, institution shall have to deposit recognition fee online by the date fixed by the Council. The institution shall be sole responsible for the same.

—————
Registrar

Madhya Pradesh Paramedical Council

No. /college/f-/a//2021

Bhopal, Date

Copy :- For information and necessary action:-

1. Special Assistant, Hon'ble Minister, Government of Madhya Pradesh, Medical Education Department, Bhopal.
2. Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Tribal Welfare Department, Mantralaya, Bhopal.
3. Under Secretary Government of Madhya Pradesh, Medical Education Department, Bhopal
4. Commissioner, Higher Education, Madhya Pradesh, Bhopal.
5. Commissioner, AYUSH, Madhya Pradesh, Bhopal.
6. Commissioner,.....
7. Director, Medical Education, Satpura Bhawan Bhopal
8. Collector, District
9. Registrar, Madhya Pradesh University of Medical Sciences, Jabalpur.
10. Dean,
11. Chief Medical and Health Officer, District.....
12. Civil Surgeon cum Chief Hospital Superintendent District ..
13. District Coordinator, Tribal Welfare District
14. Director, National Information Center, Madhya Pradesh, State Center Vindhyachal Bhawan, Bhopal.
15. Director/ Principal
16. Director, M.P. Online, Development Office, 3rd Floor, State IT Park, Abbas Nagar, Near RGPV Gandhi Nagar, Bhopal. (For further action regarding admission form as per above.)
17. Order File

Registrar

Madhya Pradesh Paramedical Council

Schedule-XI**(See rule 4(3))****(a) Format of affiliation letter with the hospital
In relation to the owned hospital**

1. Name of the Hospital :
2. Address of the hospital :
3. Hospital e-mail :
4. Tel. No. / Authorized Mo. No. :
5. Information about registration of the hospital:
 - 5.1 Name and Designation of the Registrar :
 - 5.2 The designation of the registrar in the committee governing the proposed paramedical institution is
 - 5.3 Mob.No./Telephone No. of the registrar :
 - 5.4 Registration Number :
 - 5.5 Registration Validity Period From To
 - 5.6 Number of Beds Registered

	Dept.	Registered	Available
	Medical
	Surgery
	Cardiology
	Dialysis
Master of Physiotherapy (Sports)	Orthopedics		
Master of Physiotherapy (Arth.)	Orthopedics		
Master of Physiotherapy (Neurology)	Neurology		
Master of Physiotherapy (Cardiology)	Cardiology		
Master of Physiotherapy (Abs & Gynecology)	Obs & Gynecology		
Master of Physiotherapy (Geriatrics)	Orthopedics		
Master of Physiotherapy (Oncology)	Orthopedics		
Master of Occupational in Pediatrics	Pediatrics		
 - 5.7 Equipment

X-ray Machine
CTMRI
ECG
Pathology
Physiology
Physiotherapy

6. Last year's total OPD number of patients :
7. Last year's total I.P.D. number of patients :
8. Affiliation of the Hospital for Paramedical Course
1. Name of the Paramedical Educational Institution :
2. Name of the Paramedical Institution Operator :
3. Name of the Courses :
4. Affiliation Day from to

**Name of the registrar of the hospital
Signature date, with seal**

**Schedule-XII
[See rule 8]
Application fees per Course**

No.	Course	Application fees	Seats Permitted	Maximum seats which may be permitted on payment of additional fees
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Post Graduate	76,220 Per Course	05	20
02	Graduate	41,570 Per Course	50	200
03	Diploma	27720, Per Course	50	200
04	Certificate	21,940 Per Course	50	200

Note:

- The above fees has been prescribed for educational session 2020-21.
- The above fees shall be increased 8 percent per year itself, which shall be rounded by nearest digit of 10.
- In case of late submission of application for recognition, the same shall be considered after approval of Chairman, Madhya Pradesh Paramedical Council, if following additional along with application fees prescribed under sub-rule (1) shall be deposited:-
- Seats in any course may be increased on additional payment of fees prescribed in column (3) subject to the maximum limit as prescribed in column (5).

1	Application by prescribed last date	No additional fees
2	By 15 days from prescribed last date	Amount equivalent to 5% of prescribed fees
3	By 30 days from prescribed last date	Amount equivalent to 10% of prescribed fees
4.	Application shall not be accepted after a period of 30 days from prescribed last date for recognition.	

Tuition fees

No.	Course	Application fees
01	Post Graduate	1,33,060/-
02	Graduate	74,00/-520
03	Diploma	47,910/-
04	Certificate	34,604/-

- Note:**1. The above fees has been prescribed for educational session 2021-22.
2. The above fees shall be increased 7.4 percent per year itself, which shall be rounded by nearest digit of 10.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.एस. वर्मा, अवर सचिव।